



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दुरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 7101 / अका.का.प / 2018

रायपुर, दिनांक, 11/09/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की इकचालीसवाँ बैठक मंगलवार, दिनांक 18.09.2018

को अपरान्ह 3:00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 19.06.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।  
(पृ.क्र. 1 से 4 तक)  
टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 19.06.2018 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 19.06.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।  
टीप : पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
(पृ.क्र. 05 से 19 तक)  
टीप : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2018 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव:-

4. विश्वविद्यालयीन अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (7वाँ वेतनमान) प्रदान किये जाने के संबंध में।  
(पृ.क्र. 20 से 24 तक)  
टीप : छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के वित्त निर्देश 50/2018, पत्र क्र. 788/F-01002199/L-11-2/ब-4/चार दिनांक 05.09.2018 की छायाप्रति एवं कार्यालयीन टीप संलग्न।
5. डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त आचार्य, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं.र.वि.वि. रायपुर के निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य किये जाने के प्रकरण पर विचार करना।  
(पृ.क्र. 25 से 27 तक)  
टीप : डॉ. व्यास नारायण दुबे को विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3157/सा.प्रशा./2017 दिनांक 24.08.2017 के द्वारा निलंबित किया गया और आदेश क्रमांक 1273/स्था./सा.प्रशा./2018 दिनांक 31.03.2018 के द्वारा निलंबन को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। आदेश एवं कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

6. 18 से 20 अगस्त को आयोजित 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन मॉरिशस में डॉ. के.एल. वर्मा कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का भारत सरकार के सरकारी प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में सम्मिलित होने की सूचना ग्रहण करना।

(पृ.क्र. 28 से 29 तक)

टीप : विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2018 की छायाप्रति संलग्न।

7. डॉ. हेमंत शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का सहायक लेखाधिकारी के पद पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में प्रतिनियुक्ति पर जाने की सूचना ग्रहण करना।

(पृ.क्र. 30 से 31 तक)

टीप : विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 2228/सा.प्रशा./2018 दिनांक 01.06.2018 के द्वारा डॉ. हेमंत शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, अकादमिक विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का सहायक लेखाधिकारी के पद पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त किया गया है।

8. डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के निलंबन की सूचना ग्रहण करना।

(पृ.क्र. 32 से 33 तक)

टीप : डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर विरुद्ध अपराध क्रमांक 74/18 धारा-420, 34 के अंतर्गत दिनांक 27.04.2018 एवं 07.05.2018 को न्यायालय के अनुमति से गिरफ्तार कर जेल निरुद्ध किये जाने के फलस्वरूप इन्हें इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2031/स्था./सा.प्रशा./2018 दिनांक 17.05.2018 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

#### मनोविज्ञान अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव:-

9. विश्वविद्यालय परिसर में दिव्यांगता अध्ययन केन्द्र खोलने के संबंध में। (पृ.क्र. 34 से 35 तक)

टीप : छ.ग. शासन समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3-37/2018/26 दिनांक 09.05.2018 की छायाप्रति संलग्न है।

दिनांक 24.08.2018 को विश्वविद्यालय यंत्री आर्किटेक्ट के साथ अध्यक्ष, मनोविज्ञान अध्ययनशाला के साथ प्रस्तावित केन्द्र की भूमि के लिये कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला के समीप अधूरी निर्मित बीम जहाँ पर है, भूमि का अवलोकन किया गया। जिसे विश्वविद्यालय यंत्री व आर्किटेक्ट द्वारा उपयुक्त बताया गया है। केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि का प्लॉट एरिया लगभग 250X200 = 5000 वर्ग फिट जमीन है। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये गये पत्र में भूमि चिन्हांकन कर नक्शा तैयार कर प्रेषित करने को कहा गया है, जिससे आगे की कार्यवाही की जा सके।

भूगोल अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव:-

10. भूगोल अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000/- से वृद्धि कर रु. 20,000/- किये जाने एवं प्रतिदिन रु. 2000/- खर्च किये जाने की अनुमति प्रदान करना।

टीप : भूगोल अध्ययनशाला में Remote Sensing and GIS Lab जिसमें 35 कम्प्यूटर, सर्वर, सॉफ्टवेयर, फोटोकॉपी मशीन, स्केनर इत्यादि है। विभागीय लैब में शोध, एम.फिल. एवं स्नातकोत्तर छात्र/छात्राएं अध्ययन करते हैं। विभाग में अध्ययन-अध्यापन प्रयोगिक कार्य पर आधारित है इसके लिए स्टेशनरी सामान के साथ-साथ ट्रेसिंग पेपर, ग्राफ पेपर, एवं विभिन्न प्रायोगिक सामग्री आदि क्रय हेतु आकस्मिक व्ययकी आवश्यकता होती है। साथ ही विभाग में (04 प्रोफेसर, 01 असिस्टेंट प्रोफेसर, 02 अतिथि शिक्षक, 02 तकनीकी अधिकारी) सभी के पास कम्प्यूटर एवं प्रिंटर उपलब्ध है। आकस्मिक व्यय करने में आवश्यक कार्य के सम्पादन में असुविधा होती है। अतः 10,000/- से बढ़ाकर 20,000/- तथा अधिकतम खर्च की सीमा रु. 2000/- प्रतिदिन करने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

भू-विज्ञान एवं जलसंसाधन प्रबंधन अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव:-

11. भू-विज्ञान एवं जलसंसाधन प्रबंधन अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रु. 5,000/- में वृद्धि कर रु. 10,000/- किये जाने की अनुमति प्रदान करना।

टीप : भू-विज्ञान एवं जल संसाधन प्रबंधन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि रु. 5000/- स्वीकृत है। वर्तमान में विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि रु. 10,000/- करने की आवश्यकता है, चूंकि विभाग पूर्व में एक मंजिल में संचालित था, अब वर्तमान में विभाग एक मंजिल से दो मंजिल में संचालित हो रहा है, जिससे विभाग की आकस्मिक व्यय में वृद्धि हो गया है। उक्त व्यय को ध्यान में रखते हुये विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि रु. 10,000/- करने प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचारार्थ।

रसायन अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव:-

12. रसायन अध्ययनशाला SERB Project के तहत क्रय किये जाने के लिये रु. 20,00,000/- स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 36 से 39 तक)

टीप : साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड आदेश दिनांक 12 मार्च, 2018 की छायाप्रति संलग्न।

अध्यापक शिक्षा संस्थान विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

13. अध्यापक शिक्षा संस्थान के नवनिर्मित भवन के Multipurpose Hall का नाम 'डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉल' तथा सेमीनार हॉल का नामकरण 'सावित्री बाई फूले' किये जाने स्टाफ काउंसिल की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : अध्यापक शिक्षा संस्थान की Staff Council की बैठक दिनांक 01.08.2018 को सम्पन्न हुई। पद क्रमांक 17 में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि Multipurpose Hall का नाम 'डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉल' तथा Seminar Hall का नाम 'सावित्री बाई फूले हॉल', के नाम पर किये जाने की अनुशंसा की गई है। Staff Council की अनुशंसा माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

14. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27.06.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

(पृ.क्र. 40 से 44 तक)

टीप : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27.06.2018 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

15. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं अध्ययनशालाओं के लिये कम्प्यूटर प्रिंटर एवं यू.पी.एस. क्रय किये जाने हेतु रु. 35,00,000/- स्वीकृत करने के संबंध में। (पृ.क्र. 45)

टीप : कार्यालयीन टीप संलग्न।

गोपनीय मुद्रण से संबंधित प्रस्ताव:-

16. गोपनीय मुद्रण कार्य के भुगतान के संबंध में।

(पृ.क्र. 46)

टीप : कार्यालयीन टीप संलग्न।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से संबंधित प्रस्ताव :-

17. 24 ई-शोध पत्रिकाओं के क्रय के संबंध में विभागीय क्रय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना। (पृ.क्र. 47)

टीप : कार्यालयीन टीप संलग्न।

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

18. सत्र 2018-19 के छात्रवृत्ति हेतु निम्नांकित तीन सदस्यीय चयन समिति का गठन करना-

टीप : विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 9(1)(B) के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु समिति गठन किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

19. EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR IMPLEMENTATION OF UNIVERSITY FINANCE & HR MANAGEMENT WITH SOFTWARE SOLUTION & HARDWARES के स्वीकृति के संबंध में। (पृ.क्र. 48)

टीप : कार्यालयीन टीप संलग्न।

20. विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के पारिश्रमिक पर होने वाले अतिरिक्त व्यय रुपये 14 लाख की स्वीकृति बाबत। (पृ.क्र. 49)


टीप : कार्यालयीन टीप संलग्न।

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

21. संत गुरु घासीदास शास. महा., कुरुद को हिन्दी विषय में शोध केन्द्र की मान्यता के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 50 से 53 तक)

टीप : निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन संलग्न।

22. निम्नांकित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य पद पर नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।
- (i) विकास शिक्षा महाविद्यालय, डुमरतराई, रायपुर
- (ii) कोलम्बिया कालेज, ग्राम-भुरकोनी, टेकारी, विधान सभा के पास, रायपुर
- टीप : प्राचार्य पद पर नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) संलग्न।
23. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार,  
  
कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 7102 / अका.का.प / 2018

रायपुर, दिनांक, 11/09/2018

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)  




# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



NAAC ACCREDITED "A"

क्रमांक: 6550/अका./का.प./2018

रायपुर, दिनांक : 20/06/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की चालीसवीं\* बैठक मंगलवार, दिनांक 19.06.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	– सदस्य	9. श्री नरेशचन्द्र गुप्ता	– सदस्य
2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा	– सदस्य	10. प्रो. आर. पी. दीक्षित	– सदस्य
3. डॉ. बशीर हसन	– सदस्य	11. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	– सदस्य
4. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	– सदस्य	12. श्री शिवरतन शर्मा	– सदस्य
5. डॉ. सोम कुमार चटर्जी	– सदस्य	13. श्री श्रीचंद सुन्दरानी	– सदस्य
6. डॉ. चन्द्रशेखर चौबे	– सदस्य	14. श्री नवीन मारकण्डेय	– सदस्य
7. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	– सदस्य	15. श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य
8. श्री एस.के. चक्रवर्ती	– सदस्य	16. श्री धनेन्द्र साहू	– सदस्य

डॉ. संदीप वनसूत्रे, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 20.04.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 20.04.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 20.04.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 20.04.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव:-

3. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के लिये खेल सामग्री एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने हेतु 16,50,000/- की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के लिये खेल सामग्री एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने हेतु 16,50,000/- (सोलह लाख पचास हजार रु. मात्र)की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।
4. डिजिटल मूल्यांकन कार्य देयक रु. 13,01,588=00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : डिजिटल मूल्यांकन कार्य देयक रु. 13,01,588=00 (तेरह लाख एक हजार पांच सौ अठ्यासी रु. मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की।

5. श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त कर्मचारी के प्रकरण पर अंकेक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त कर्मचारी के प्रकरण के निराकरण करने हेतु दिनांक 20.04.2018 को माननीय कार्यपरिषद की 39वीं बैठक में विशेष अंकेक्षण की छायाप्रति माननीय सदस्यों को वितरित की गई थी, जिससे आगामी बैठक में चर्चा की जा सके। दिनांक 19.06.2018 को 40वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस प्रतिवेदन की संक्षेपिका, अभी तक हुई कार्यवाही विवरण के साथ-साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावें। इस कार्य के लिए तीन सदस्यों की समिति गठित की गई है-

(1) श्री बी. एल. तिवारी, समन्वयक,

(2) श्री नरेशचन्द्र गुप्ता, सदस्य,

(3) डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, सदस्य।

समिति अपना प्रतिवेदन 20 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगी।

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

6. नवीन अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत जमा राशि के आहरण के संबंध में छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक 485/एफ 2015-4-01753/वित्त नियम/चार, दिनांक 27.11.2017 को अंगीकृत किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : नवीन अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत जमा राशि के आहरण के संबंध में छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक 485/एफ 2015-4-01753/वित्त नियम/चार, दिनांक 27.11.2017 को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

7. छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के वित्त निर्देश 34, 35/2018 क्रमशः पत्र क्रमांक 257/एफ-2013-04-00416/वि/नि/चार दिनांक 29.05.2018 एवं पत्र क्र. 259/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार दिनांक 29.05.2018 के अनुसार विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार महंगाई भत्ता 136 के स्थान पर 139 प्रतिशत प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के वित्त निर्देश 34, 35/2018 क्रमशः पत्र क्रमांक 257/एफ-2013-04-00416/वि/नि/चार दिनांक 29.05.2018 एवं पत्र क्र. 259/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार दिनांक 29.05.2018 के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2017 से राज्य शासन के नियमानुसार महंगाई भत्ता 136 के स्थान पर 139 प्रतिशत प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की।

परीक्षा/गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

8. वर्ष 2018 गोपनीय मुद्रण भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वर्ष 2018 गोपनीय मुद्रण का भुगतान रुपये- 25,61,745.00 (पच्चीस लाख इकसठ हजार, सात सौ पैंतालीस रुपये मात्र) भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. दिव्यांग छात्र श्री जयंत अग्रवाल, बी.एड. प्रथम सेमेस्टर रोल नं.-1723244 को अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुमोदन करना।

निर्णय : दिव्यांग छात्र श्री जयंत अग्रवाल, बी.एड. प्रथम सेमेस्टर रोल नं.-1723244 को अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुमोदन किया गया।

10. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 के निर्णयानुसार पारिश्रमिक परिवर्तन हेतु गठित समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 के निर्णयानुसार पारिश्रमिक परिवर्तन हेतु गठित समिति की अनुशंसा में से (क) जिन मानदेय का अनुमोदन समन्वय समिति से किया जाता है उन्हें समन्वय समिति को प्रेषित करने का अनुमोदन किया गया। (ख) विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित किये जाने वाले मानदेय को अनुमोदित किया गया, परंतु यह (क) के समन्वय समिति से अनुमोदन के साथ ही प्रभावी होगा।

#### NCNR विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

11. वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित बजट में NCNR के व्यय हेतु विकास मद की राशि को सामान्य मद में स्थानांतरित किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित बजट में NCNR के व्यय हेतु, लिपिकीय त्रुटि शब्द को विलोपित करते हुए, विकास मद की व्यय राशि रुपये 25,00,000/- (पच्चीस लाख रु. मात्र) को सामान्य मद में स्थानांतरित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

#### वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

12. विश्वविद्यालय भवन/परिसर में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने हेतु राशि रु. 27.00 लाख प्रशासकीय स्वीकृति एवं अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : निविदा जेम (Gem) के माध्यम से, विश्वविद्यालय भवन/परिसर में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने हेतु, रु. 27,00,000/- (सत्ताईस लाख रु. मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

#### पूरक सूची

1. IMPLEMENTATION OF UNIVERSITY FINANCE & HR MANAGEMENT SOFTWARE SOLUTION हेतु रुचि की अभिव्यक्ति के सम्बंध में।

निर्णय : IMPLEMENTATION OF UNIVERSITY FINANCE & HR MANAGEMENT SOFTWARE SOLUTION की EOI के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई साथ ही निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव अगामी बैठक में सम्पूर्ण कार्य योजना एवं लागत के साथ प्रस्तुत किया जाए।

2. कुलपति निवास में बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य के संबंध में।

निर्णय : कुलपति निवास में बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुमानित लागत 38,25,000/- है।



3. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.06.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन के संबंध में।


निर्णय : विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.06.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

माननीय कार्यपरिषद ने सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय के अधिवक्ता जो कार्यपरिषद द्वारा नामित है, विश्वविद्यालय के प्रतिपक्ष में कोई प्रकरण में माननीय न्यायालय में जिरह हेतु दाखिल होते हैं तो, विश्वविद्यालय के इनपैनलमेन्ट लिस्ट से नियमानुसार कार्यवाही कर विलग किया जा सकता है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक: 6551/अका./का.प./2018  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 20/06/2018

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक 6937 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2018

रायपुर, दिनांक: 13/08/2018

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 07.08.2018 सायं 04.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1. प्रो. के.एल. वर्मा, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. एच.के. पाठक	-	सदस्य
3. डॉ. बशीर हसन	-	सदस्य
4. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	-	सदस्य
6. डॉ. सी.एल. पटेल	-	सदस्य
7. डॉ. संजय कुमार	-	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) वासु वर्मा	-	सदस्य
9. डॉ. संदीप वनसूत्रे कुलसचिव	-	सचिव

## बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

### कार्यवृत्त :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.06.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.06.2018 के विषय क्रमांक 6 पर Post Graduate Diploma in Rehabilitation Psychology के नवीन अध्यादेश को अध्ययन मण्डल में अनुशांसा करारकर अंतिम रूप प्रदान कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय के साथ कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.06.2018 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.06.2018 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

03. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(i)	आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा, रायपुर	B.Sc.-II- Computer Sc.	40	2018-19	1. प्रो. एच.के. पाठक, गणित अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. ए.के. गुप्ता, बायोसाइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. प्रो. एन. बोधनकर, भू-विज्ञान अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर 4. प्रो. संजय कुमार, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.Sc.-III-Bio- (Chemistry, Botany, Zoology)	60		
		B.Sc. -III- Maths (Physics, Chemistry, Maths)	60		
स्थापना वर्ष -2015-16 शासन का आदेश - आयुक्त उच्च शिक्षा संचा. का पत्र क्र. 385 दि. 20.03.2018					

<p><b>निरीक्षण तिथि : 11.05.2018</b></p> <p>विश्वविद्यालय के निरीक्षण सदस्यों के द्वारा दिनांक 05.07.2018 को अपरान्ह 12.30 बजे आदर्श महाविद्यालय दतरंगा, रायपुर का नीचे लिखे गए कक्षा/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया :</p> <p><b>B.Sc. (C.S.)-II 40 सीट</b>  <b>B.Sc. (Biology)-III 60 सीट</b>  <b>B.Sc. (Mathematics) - III 60 सीट</b></p> <p>निरीक्षण दल के सदस्यों ने पाया कि -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महाविद्यालय के पास शासन द्वारा आबंटित लीज की 6 एकड़ भूमि है तथा बी.एस-सी. (कम्प्यूटर साइंस) II 40 सीट, बी.एस-सी. (बायोलॉजी)- III 60 सीट, बी.एस-सी. (गणित)- III 60 सीट हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है।</li> <li>2. भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान के लिए पाँच प्रयोगशालाएं अलग-अलग हैं।        (अ) भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान के लिए प्रयोगशालाओं में बी.एस-सी. III के पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरण क्रय किये जाने की आवश्यकता है।        (ब) कम्प्यूटर साइंस प्रयोगशाला में 38 कम्प्यूटर है जिनमें से 10 LAN Connectivity से जुड़े हैं तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। पाठ्यक्रम के अनुसार लायसेंस साफ्टवेयर क्रय करने की आवश्यकता है।        (स) सभी कम्प्यूटर आपरेटिंग सिस्टम WINDOW के अतिरिक्त प्रयोगशाला में उपयोग में आने वाले सभी साफ्टवेयर के LICENCE VERSION का क्रय किये जाने की आवश्यकता है।</li> <li>3. महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य कार्यरत है। महाविद्यालय में प्राचार्य, भौतिकी में 01, रसायनशास्त्र में 02, गणित में 01 कम्प्यूटर विज्ञान में 01, वनस्पतिशास्त्र में 01, जीवविज्ञान में 01 शिक्षकों की परिनियम 28 के अंतर्गत अविलंब नियुक्ति की आवश्यकता है।</li> <li>4. पुस्तकालय में छात्र अनुपात में (1:5 ) विषयवार पुस्तकें क्रय किए जाने की आवश्यकता है।</li> </ol>					
<p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिंदुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(ii)	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महा.धरसीवां, जिला-रायपुर स्थापना वर्ष -1988-89	B.Com.-II	40	2018-19	1. डॉ. विजय कुमार अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय एवं प्राध्यापक शास. जे. योगानांदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर 2. डॉ. अब्दुल करीम वाणिज्य विभाग, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य महावि. महासमुंद 3. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, प्राचार्य, संत गुरु घासीदास शास. पी.जी महावि. कुरुद
<p><b>निरीक्षण तिथि : 17.07.2018</b></p> <p>पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आदेश क्र. 6647/अका./सम्बद्धता/2018 दिनांक 03.07.2018 के परिपालन में आज दिनांक 17.07.2018 को निरीक्षण समिति ने निरीक्षण किया और पाया कि -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महाविद्यालय का स्वयं का भवन है और अधोसंरचना पर्याप्त है।</li> <li>2. महाविद्यालय में वाणिज्य विषय के तीन नियमित सहायक प्राध्यापक पदस्थ हैं।</li> <li>3. महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य पदस्थ हैं।</li> <li>4. बी.काम. भाग-एक एवं भाग दो के लिए 50,000 रु. की नयी पुस्तकें क्रय किए जाने की आवश्यकता है। इस शर्त पर पात्रता प्रदान की जा सकती है।</li> </ol>					
<p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(iii)	स्वामी अजय गुरुदेव इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नालॉजी, ग्राम-मुडपार, जिला-रायपुर	PGDCA	30	2018-19	1. प्रो. डी.पी. बिसेन, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. संजय कुमार, कम्प्यूटर साइंस अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर 3. सुश्री गार्गी शुक्ला, शास. नागार्जुन पीजी साइंस कालेज, रायपुर
स्थापना वर्ष -2015-16 शासन का आदेश - क्र एफ 17-15/2018/38-2 दिनांक 3.7.2018					
<p><b>निरीक्षण तिथि : 18.04.2018</b></p> <p>पत्र क्रमांक 6785/अका./2018 दिनांक 23.07.2018 के संदर्भ में (PGDCA-30) आज दिनांक 24.07.2018 को निरीक्षण किया और पाया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है।</li> <li>2. संविदा आधार पर एक वर्ष के लिये प्राचार्य नियुक्त है।</li> <li>3. प्रस्तावित पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिये 2 शिक्षकों को परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।</li> <li>4. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 15 कम्प्यूटर है, जो कि पर्याप्त है।</li> <li>5. पाठ्यक्रम के अनुसार Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।</li> <li>6. वर्तमान में कम्प्यूटर से संबंधित PGDCA स्तर की पुस्तकें उपलब्ध हैं, तथापि छात्र संख्या के अनुपात में पाठ्यक्रम के अनुसार और पुस्तकों का क्रय करने की आवश्यकता है।</li> </ol>					
<p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिंदुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(iv)	कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नरदहा, रायपुर	PGDCA- M.Com.-Prev.	20 सीट वृद्धि 40	2018-19	1. डॉ. डी.पी. बिसेन, आचार्य, भौतिकी अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, प्राचार्य, संत गुरु घासीदास शास. पी.जी. महावि. कुरुद 3. डॉ. विजय कुमार अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय एवं प्राध्यापक शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
स्थापना वर्ष -2012-13 शासन का आदेश - क्र एफ 17-57/2018/38-2 दि. 6.6.2018					
<p><b>निरीक्षण तिथि : 23.07.2018</b></p> <p>पं.र.शु.वि.वि. रायपुर के पत्र 6737/अका./2018 रायपुर दिनांक 13.07.2018 के तहत नवीन शिष्य एम.काम. एवं पी.जी.डी.सी.ए. में सीट वृद्धि हेतु निरीक्षण किया और पाया</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य है।</li> <li>2. अधोसंरचना पर्याप्त है।</li> <li>3. एम.काम. एवं पी.जी.डी.सी.ए. में से परि. 28 के तहत 5+2 शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना है, इस हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।</li> <li>4. लाइसेंसी साफ्टवेयर है।</li> <li>5. दोनों विषयों में 100000 रु. का पुस्तक क्रय किया जावे।</li> </ol> <p>उक्त शर्तों के पूर्ण करने की शर्त के रूप में सम्बद्धता हेतु मान्यता की संस्तुत किया जाता है।</p>					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
	<p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिन्दुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।</p>				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(v)	दौलतराम शर्मा शासकीय महाविद्यालय, कसडोल, जिला- बलौदाबाजार- भाटापारा	B.Sc.-I- IT	20	2017-18	1. डॉ. डी.पी. बिसेन, आचार्य, भौतिकी अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. अमिताभ बेनर्जी, प्राचार्य, शास. सुखराम नागे महा. नगरी
	स्थापना वर्ष - 1983-84 शासन का आदेश - क्र एफ-17-66/ 2017/38-2 दि. 24.03.2017				
<p><b>निरीक्षण तिथि : 09.06.2018</b> स्वीकृत पद :01 (अतिथि व्याख्याता) फर्नीचरों की संख्या : 560 सेट (पर्याप्त) व्याख्यान कक्षों की संख्या : 25 (पर्याप्त) कम्प्युटर की संख्या : 08 (अपर्याप्त), 10 कम्प्युटरों का क्रय प्रस्तावित प्रिंटर की संख्या : 08 (पर्याप्त) Internet की सुविधा : उपलब्ध है विषय से संबंधित पुस्तकों की संख्या : 23 (अपर्याप्त) उपर्युक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कक्षा/विषय की सम्बद्धता के संदर्भ में आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित : B.Sc. Part-I (I.T.) 20 (Seats) सत्र 2017-18.</p>					
<p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(vi)	महर्षि दयानंद संस्कृत कॉलेज, कोसरंगी, पो. -पचेड़ा, जिला-महासमुंद	शास्त्री तृतीय वर्ष	60	2018-19	1. डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष अध्ययन मंडल, क्लासिक, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर 2. डॉ. तोय निधी वैष्णव, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर
	स्थापना वर्ष - 2016-17 शासन का आदेश - क्र 388/आउशि/ अ.शै.प्र./2018 दि. 28.03.2018				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
<b>निरीक्षण तिथि : 15.06.2018</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>आज दिनांक 15.06.2018 की महर्षिदयानन्द संस्कृत कालेज कोसरंगी (महासमुंद) में महाविद्यालय का निरीक्षण किया कालेज के लिए सम्पूर्ण परिसर में उपयुक्त कक्षाएं विषयवार बनाए गए हैं, क्रीड़ा मैदान, योगासन आदि के लिए पर्याप्त भवन एवं संसाधन उपलब्ध है।</li> <li>इस महाविद्यालय को उच्च शिक्षा के लिए सर्वतोभविन पात्रता दी जाए यह कि अध्ययन अध्यापन के समस्त संसाधन व्यवस्थित रूप से यहाँ उपलब्ध है।</li> <li>शास्त्री तृतीय वर्ष की कक्षा के लिए इस महाविद्यालय की पात्रता प्रदान करने की समिति अनुशंसा करती है।</li> </ol>					
<b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिंदुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(vii)	आर.आई.टी.ई.ई. कालेज ऑफ मैनेजमेंट, डुमर तालाब, रायपुर	B.C.A. PGDCA	30 30	2018-19	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रो. नमिता ब्रम्हे, आचार्य, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर</li> <li>प्रो. संजय कुमार, आचार्य, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र. शु.वि.वि. रायपुर</li> <li>प्रो. आर.एन. बघेल, से.नि. आचार्य, भौतिकी अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर</li> </ol>
स्थापना वर्ष – 2017-18 शासन का आदेश – क्र. एफ 17-03/2018/38-2 दि.-06.06.2018					
<b>निरीक्षण तिथि : 14.07.2018</b>					
पत्र क्रमांक 6713/अका./2018 दिनांक 10.07.2018 के संदर्भ में (BCA-30, PGDCA-30 हेतु) आज दिनांक 14.07.2018 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया और पाया :-					
<ol style="list-style-type: none"> <li>महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है।</li> <li>परिनियम 28 के अंतर्गत दो कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।</li> <li>प्रयोगशाला में Latest Configuration के 10 कम्प्यूटर और क्रय करने की आवश्यकता है।</li> <li>पाठ्यक्रम के अनुसार Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।</li> <li>पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकालय में पुस्तक क्रय करने की आवश्यकता है।</li> </ol>					
<b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिंदुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(viii)	रामकृष्ण महाविद्यालय, साईं दरबार रोड, महादेवघाट, रायपुरा, रायपुर	B.Sc. -I- Maths	30	2018-19	1. प्रो. के.के. घोष, रसायन, अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. डी.एस. बिसेन, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. प्रो. बी.एस. ठाकुर, गणित अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 4. प्रो. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.Sc. -I Bio	30		
		B.Sc. -I Computer Science	30		
		B.Com.-I- (Cmputer Appl.)	30		
स्थापना वर्ष - 2008-09 शासन का आदेश - पृ.क्र. एफ 17-61/2017/38-2 दि.-28.02.2018					
<b>निरीक्षण तिथि : 25.07.2018</b> पं. रविशंकर शुक्ल के आदेश क्र. 6970/अका./2018 दिनांक 21.06.2018 के परिपालन में दिनांक 25.07.2018 को महा. का निरीक्षण किया गया। महा. के रायपुरा (रायपुर) में स्थित है, महा. स्थल में जमीन 1 एकड़ से कम है। समिति द्वारा 5 एकड़ जमीन का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जो कि ग्राम पचेड़ा में स्थित है, वह भी केवल कृषि उपयोग हेतु निर्धारित है। कक्षाएँ पर्याप्त है। लाइब्रेरी में प्रस्तावित पाठ्यक्रमसे संबंधित कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। प्राणीशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी के प्रयोगशाला में कोई उपकरण उपलब्ध नहीं है। कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 10 कम्प्यूटर उपलब्ध है। किसी भी विषय के लिए वर्तमान में कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है। संस्था द्वारा प्रयोग सामग्री तथा पुस्तकें क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ करने की जानकारी प्रदान की गई है।					
<b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं के आधार पर, विनियम 129 एवं परिनियम 27 में उल्लेखित शर्तों के पूर्ण नहीं होने के कारण सम्बद्धता नहीं दी जा सकती।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(ix)	सी.आई.टी. साईंस एंड कॉमर्स महा. भेलवाडीह, अभनपुर	PGDCA	30	2018-19	1. प्रो. कविता ठाकुर, इलेक्ट्रानिक्स अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. विनोद पटले, सहा.प्राध्यापक कम्प्यूटर अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. विजय कुमार अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय एवं प्राध्यापक शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर 4. डॉ. अब्दुल करीम वाणिज्य विभाग, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य महावि. महासमुंद
		B.Com.-I	40		
		B.Sc. III Year- Maths Group- Physics, Chemistry, Math	40	2017-18	
		B.Sc. III Year- Bio Group- Chemistry, Botany, Zoology	40		
1. प्रो. ए.के. गुप्ता, बायोसाइंस, अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. बी.एस. ठाकुर, गणित अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. के.एन. शर्मा, प्राचार्य शास. महा. आरंग					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
	स्थापना वर्ष – 2014-15 शासन का आदेश – पृ.क्र. एफ 17-65/2018/38-2 दि.-18.06.2018				
	<p><b>निरीक्षण तिथि : 25.07.2018</b>  पं. रविशंकर शुक्ल के आदेश क्र. 6799/अका./2018 दिनांक 24.07.2018 के परिपालन में आज दिनांक 25.07.2018 को निरीक्षण समिति ने पी.जी.डी.सी.ए. (30 सीट) एवं बी.काम. प्रथम वर्ष (40 सीट) की सम्बद्धता के लिए निरीक्षण किया और पाया कि :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम के लिए अधोसंरचना पर्याप्त है।</li> <li>प्राचार्य की नियुक्ति परिनियम 28 के तहत है।</li> <li>पी.जी.डी.सी.ए. के लिए 02 सहायक प्राध्यापक एवं बी.काम. के लिए दो सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति परिनियम 28 के अधीन की जानी आवश्यक है।</li> <li>कम्प्यूटर की संख्या पर्याप्त है। किन्तु पाठ्यक्रम के अनुरूप लाइसेंसी साफ्टवेयर क्रय किये जाने की आवश्यकता है।</li> <li>छात्रों के अनुपात में नवीन पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।</li> </ol>				
	<p><b>B.Sc. III Year- Maths &amp; Bio Group</b>  Ref. : 5760/Academic/2018 Raipur dt. 01-02-2018  Subject. - Affiliation for B.Sc. (Maths and Biology) -III year (2017-18). - 40 Seats each.  College - CIT Science &amp; Commerce College, Abhanpur  Date of Visit : 11-07-2018.  Estb. : 2014  No endowment fund has been made by the College, thus far.  Infrastructure : The College has adequate land. It has its own building with Class rooms, Seminar Hall, Laboratory space, playground, Computer lab, library etc.  faculty : Principal appointed in sec. 28. One Asstt. each in Maths &amp; Physics is appointed in Section 28. Asst. Prof. in Zoology, Botany, Chemistry, Hindi &amp; English, are working temporarily.  Library : Librarian is working in sect. 28. Library has limited books on the subject. More books need to be procured in Library.  Laboratory : Lab need to be furnished with facilities and equipment related to the syllabus. The teachers need to be appointed in section 28.</p>				
	<p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। 1 माह के भीतर <b>Endowment fund</b> की राशि जमा किया जावे। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिन्दुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।</p>				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(x)	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एंड साइंसेस, गरियाबंद	PGDCA DCA (New Course)	20 सीट वृद्धि 30	2018-19	1. प्रो. कविता ठाकुर, इलेक्ट्रानिक्स अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर 2. डॉ. विनोद पटले, सहा.प्राध्यापक कम्प्यूटर अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. (श्रीमती) केसरी वर्मा, एन.आई.टी. रायपुर
	<p>स्थापना वर्ष – 2006-07 शासन का आदेश – पृ.क्र. 1974/1293/2013/38-2 दि. 31.05.2013</p>				



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
	<p><b>निरीक्षण तिथि : 28.07.2018</b></p> <p>पं. रविशंकर शुक्ल के आदेश क्र. 6811/अका./2018 दिनांक 25.07.2018 के परिपालन में आज दिनांक 28.07.2018 को निरीक्षण समिति ने डी.सी.ए. (30 सीट) नवीन विषय एवं पी.जी.डी.सी.ए. (20 सीट) सीट वृद्धि की सम्बद्धता के लिए निरीक्षण किया और पाया कि :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रमों के लिए अधोसंरचना पर्याप्त है।</li> <li>प्राचार्य की नियुक्ति परिनियम 28 (वि.वि) के तहत है।</li> <li>निरीक्षण के दौरान कम्प्यूटरों की संख्या 55 पायी गयी जो कि प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए पर्याप्त है।</li> <li>वर्तमान में परिनियम 28 के तहत कम्प्यूटर शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। अतः प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए 03 सहायक प्राध्यापकों की वि.वि. परिनियम 28 के तहत नियुक्ति किया जाना आवश्यक है।</li> <li>प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये छात्रों के अनुपात में नवीन पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।</li> <li>प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए Micosoft Visual Studio Lisence Software क्रय किया जाना आवश्यक है।</li> </ol>				
	<p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिन्दुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।</p>				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(xi)	शासकीय पं. श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग	M.Sc. - Final (Zoology)	25	2018-19	1. डॉ. ए. के. गुप्ता, बायोसाईंस अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. डॉ. रेणु महेश्वरी, प्राणी विज्ञान, शास. नागार्जुन पी.जी. महाविद्यालय, रायपुर
		M.A. - Final (Hindi)	30		1. डॉ. आर. के. दुबे, प्राचार्य, शास. नवीन महाविद्यालय, खरोरा 2. डॉ. मधुलता बारा साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं. र.वि. वि., रायपुर
	<p>स्थापना वर्ष - 14.08.2007 शासन का आदेश - क्रमांक एफ-3-56/2015/38-1, दिनांक 22.08.2017</p>				
	<p><b>निरीक्षण तिथि : 27.07.2018</b></p> <p>पं. रविशंकर शुक्ल के आदेश क्र. 6710/अका./संबद्धता/2018, रायपुर, दिनांक 10.07.2018 के परिपालन में आज दिनांक 27.07.2018 को निरीक्षण समिति ने एम.ए.सी. अंतिम (प्राणीशास्त्र) (25 सीट) नवीन विषय एवं एम.ए. अंतिम (हिन्दी) (30 सीट) सीट वृद्धि की सम्बद्धता के लिए निरीक्षण किया और पाया कि :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>शासकीय महाविद्यालय, स्थापित 2007, स्वयं का भवन/अध्ययन कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय, खेलकुद के लिए मैदान, संगोष्ठी कक्ष आदि उपलब्ध है।</li> <li>एम.ए.सी. (प्राणिकी) अंतिम एवं एम. ए. (हिन्दी) अंतिम वर्ष की संबद्धता हेतु निरीक्षण।</li> <li>नियमित प्राचार्य - पद स्वीकृत पदस्थापना नहीं। आवेदित दोनों विषयों में दो-दो पद, शिक्षकों के स्वीकृत, दोनों विषयों में एक-एक नियमित शिक्षक कार्यरत तथा एक-एक पद रिक्त। स्नातकोत्तर स्तर पर (केवल स्नातकोत्तर के लिए) कम से कम दो शिक्षक आवश्यक। प्रयोगशाला सहायक के 04 एवं प्रयोगशाला परिचारक के 03 पद स्वीकृत, कार्यरत एक भी नहीं। पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के लिए पुस्तकें एवं उपकरणों की व्यवस्था वांछित पाठ्यक्रमानुसार (विषयानुसार) आवश्यकता।</li> </ol>				
	<p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।</p>				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(xii)	के.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी अटारी, रायपुर	B.Sc. (Biotechnology, Zoology, Chemistry)	60 सीट वृद्धि	2018-19	1. प्रो. ए. के. गुप्ता, बायोसाइंस अध्ययनशाला, पं. र.वि. वि., रायपुर 2. प्रो. के.के. घोष, रसायन, अध्ययनशाला, पं. र.वि. वि., रायपुर 3. प्रो. एस.के. जाधव, बायोटेनालॉजी अध्ययनशाला, पं. र.वि. वि., रायपुर 2. प्रो. संजय कुमार, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, पं. र. वि. वि., रायपुर
	स्थापना वर्ष - 2010-11 शासन का आदेश - क्रमांक एफ-17-22/2018/38-2, दिनांक 29.06.2018	B.C.A.	60 सीट वृद्धि		
<p><b>निरीक्षण तिथि : 24.07.2018</b>  Ref. 6771/Acad/2018 Raipur dt. 19-07-2018.  Sub. : Seat Enhancement B.Sc. (Biotech., Zoology &amp; Chemistry-60), BCA-60,  Date of Visit : 24-07-2018  College : K.D. Rungata College of Science &amp; Technology, Atari, Raipur  Est. : 2008 ; 2f from UGC, NAAC accredited (9/2016-9/2012)  Has adequate land, own building, class rooms, lab space, playground, Seminar Hall, Library, Computer lab, Licence Software.  Regular Principal in Sec 28, faculty- Biotechnology: 2 in sect. 28 2 temporary, 1 Lab Asstt., Computer Science 2 ub sect. 28, 10 temporary 22 lab Asstt. . Library- Librarian- temporary, adequate number of books in each subject.  However, more books be procured for enhanced seats.  Lab space has to be increased. Lab Instruments as per syllabus need to be increased for enhanced seats. The College is eligible for seat encrement.</p>					
<p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिन्दुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।</p>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(xiii)	रामचण्डी कालेज, सरायपाली, जिला-महासमुंद	B.Sc.-Bio	40	2018-19	1. प्रो. ए. के. गुप्ता, बायोसाइंस अ.शा., पं.र.वि. वि., रायपुर 2. प्रो. शम्स परवेज, रसायन, अ.शा. पं.र.वि. वि., रायपुर 3. प्रो. डी.पी. बिसेन, भौतिकी अ.शा. पं. र.वि. वि., रायपुर 4. प्रो. बी.एस. ठाकुर, गणित अ.शा. पं. र.वि. वि., रायपुर 5. डॉ. जे.एन. वर्मा, शास. दू.ब. महिला महा. रायपुर
	स्थापना वर्ष - 2003-04 शासन का आदेश - क्रमांक एफ-17-09/2018/38-2, दिनांक 30.06.2018	B.Sc. Maths	40		
<p><b>निरीक्षण तिथि : 31.07.2018</b>  Ref. : 6791/Acad/2018 Raipur date 23-07-2018  Subject : New Subject B.Sc. Biology (40), B.Sc. (Maths (40), Ist year affiliation.  Date of visit : 31-7-2018  College : Ramchandi College, Sraipali Est.: 2003, UGC 2f &amp; 12 B recognized  Infrastructure : The College has adequate land, and has own building with Class rooms, seminar hall, Computer lab, library and laboratories which are under construction. Furniture is inadequate and need to be procured.</p>					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
	<p>The College has a incharge Principal. One faculty each in mathematics, Physics, Chemistry, Botany and Zoology is appointed temporarily to start the new course.</p> <p>- Laboratory facility need to be improved. Purchase of lab equipment and material is under process.</p> <p>Library - Librarian temporary Some books on the Subjects have been purchased. More books on the subjects have to be procured soon.</p> <p>Principal and Teachers to be appointed under section 28. Staff for lab maintenance to be appointed.</p> <p>The College is eligible to strt the new course.</p>				
	<p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिन्दुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।</p>				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(xiv)	सेंट विसेंट पैलोटी कॉलेज, कापा, रायपुर	B.P.E.	30	2018-19	1. प्रो. भगवंत सिंह, अध्ययनशाला, पं. र.वि. वि., रायपुर 2. प्रो. सी.डी. अगाशे, शारीरिक शिक्षा, अध्ययनशाला, पं. र.वि. वि., रायपुर 3. प्रो. राजीव चौधरी, शारीरिक शिक्षा, अध्ययनशाला, पं. र.वि. वि., रायपुर 4. डॉ. विनोद पटले, कम्प्यूटर साइंस, अ.शा. पं. र.वि. वि., रायपुर
		PG Dip. in Yoga	30		
		PGDCA	20	सीट वृद्धि	
	<p>स्थापना वर्ष - 1994-95            शासन का आदेश - क्रमांक एफ-17-68/2018/38-2, दिनांक 29.06.2018</p>				
	<p><b>निरीक्षण तिथि : 03.08.2018</b></p> <p>वि.वि. के पत्र क्र.6835/अका. दिनांक 27.07.2018 के अनुक्रम में समिति के सभी सदस्यों ने दि. 03.08.18 को निरीक्षण किया और पाया कि -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महाविद्यालय में भौतिक अधोसंरचना पर्याप्त है।</li> <li>2. B.P.E. पाठ्यक्रम हेतु पुस्तकें एवं खेल सामग्रियों का क्रय किया जाना है।</li> <li>3. PGDCA के लिए लायसेंसड सॉफ्टवेयर, पुस्तकें एवं सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति किया जाना है। (दस कम्प्यूटर क्रय करना है।)</li> <li>4. PG Dip. in Yoga Edu. &amp; Phil. के लिए 1200 वर्गफुट दरी, योग-सामग्री तथा पुस्तकें क्रय करने के साथ एक सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की जानी है।</li> <li>5. महाविद्यालय के प्राचार्य ने उपरोक्त तीनों पाठ्यक्रमों हेतु दर्शायी गयी आवश्यकताओं के साथ-साथ उच्च शिक्षा विभाग के पत्र में वर्णित 01 से 10 तक कंडिकाओं की सभी शर्तें वि.वि. की सम्बद्धता आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर पूरी करने के वचन पत्र दिया है। प्राचार्य के उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय पाठ्यक्रमों की पात्रता सशर्त रखता है।</li> </ol>				
	<p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिन्दुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।</p>				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	
(xv)	पं. हरिशंकर शुक्ल महा. रायपुर	PG Dip. in Yoga	30	2018-19	1. प्रो. भगवंत सिंह, अ.शा., पं. र.वि. वि., रायपुर 2. डॉ. वसुधा चौधरी, शास. छत्तीसगढ़ महा. रायपुर 3. प्रो. संजय तिवारी, इलेक्ट्रॉनिक्स अ.शा., पं. र. वि. वि., रायपुर 4. प्रो. डी.पी. बिसेन, भौतिकी अ.शा. पं.र.वि. वि., रायपुर	
		B.Sc. Computer Sc.	40			
		B.Sc.-III Bio Group - Chemistry, Botany, Zoology	40	2017-18		1. डॉ. रेणु माहेश्वरी, आचार्य, प्राणीशास्त्र, शास. नागार्जुन विज्ञान महा. रायपुर 2. डॉ. वर्षा करंजगांवकर, आचार्य गणित शास. नागार्जुन विज्ञान महावि. रायपुर
		B.Sc.-III Math Group - Chem., Phy., Maths	40			
		B.Sc. Bio Group	40 सीट वृद्धि			
B.Sc. Maths Group	40 सीट वृद्धि					
स्थापना वर्ष - 1994-95 शासन का आदेश - क्र. एफ-17-39/ 2018/38-2, दिनांक 23.06.2018 (2) 125/151/आउशि/अशै.प्र./2017 दि. 14.02.2017 एफ 17-83/2017/38-2 दि. 28.02.17						
<p><b>निरीक्षण तिथि : 04.08.2018</b></p> <p>वि.वि. के पत्र क्र. 674/अका. दिनांक 16.07.2018 के परिप्रेक्ष्य में समिति (डॉ. भगवंत सिंह, डॉ. संजय तिवारी एवं डॉ. डी.पी. बिसेन) ने पं. हरिशंकर शुक्ल महा. का निरीक्षण किया और पाया कि -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महाविद्यालय में भौतिक अधोसंरचना पर्याप्त है।</li> <li>2. PG Dip. in Yoga Edu. &amp; Philosophy के संचालन हेतु योगाभ्यास से सम्बन्धित सामग्री, पुस्तकें एवं एक सहाय कप्राध्यापक की नियुक्ति अनिवार्य हैं</li> <li>3. B.Sc. (Computer Science) के संचालन हेतु पुस्तकों के साथ एक सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति अनिवार्य है।</li> <li>4. उपरोक्त बिन्दु क्र. 2 एवं 3 की पूर्ति वि.वि. द्वारा आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर कर लेने सम्बन्धी प्राचार्या का पत्र नस्ती के प्रारंभ में सलग्न है। उच्च शिक्षा की शर्तों को पूर्ण करना है। उपरोक्त की दशा में महा. सशर्त पात्रता रखता है।</li> </ol> <p><b><u>B.Sc.-III Bio, Maths Group &amp; Seat increase -</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. According to syllabus of B.Sc.-III, books and instruments are to be purchased as per requirement.</li> <li>2. As number of seats in B.Sc. I are to be increased, more books and instruments are to be purchased.</li> <li>3. After increase in seats of B.Sc. I, the extension of labs is needed.</li> <li>4. The appointment of at least one Asstt. Prof. per subject is needed under Section 28</li> <li>5. After inspection we found the College eligible for affiliation of B.Sc. III Maths and B.Sc. III Biograph, as well as the extension of seats in B.Sc. I Bio (40), and Maths (40) group is approved.</li> </ol>						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
	<p><b>निर्णय:</b> निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति कर, तीन माह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के पालन के संबंध में निरीक्षण कराया जावेगा। बिन्दुओं की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।</p>				

04. Revised Ordinance 131 - Adoption of Pharmacy Council of India (New Delhi) Rules and Syllabus for the Bachelors of Pharmacy (B.Pharm.) Course अध्ययन मण्डल की अनुशंसा पर विचार करना।

**निर्णय:** Revised Ordinance 131 - Adoption of Pharmacy Council of India (New Delhi) Rules and Syllabus for the Bachelors of Pharmacy (B.Pharm.) Course को ग्रहण (adopt) करने की अध्ययन मण्डल की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

05. श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन, धनेली, पो.—माना, रायपुर को निजी विश्वविद्यालय श्री रावतपुरा सरकार युनिवर्सिटी, धनेली रायपुर के अधीन सम्मिलित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट के सचिव के पत्र दिनांक 03.05.2018 एवं 14.06.2018 पर विचार करना।

**निर्णय:** श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन, धनेली, पो.—माना, रायपुर को निजी विश्वविद्यालय श्री रावतपुरा सरकार युनिवर्सिटी, धनेली रायपुर में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रदान नहीं किया जा सकता। महाविद्यालय चाहे तो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

06. सत्र 2018-19 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची का अनुमोदन करना।

**निर्णय:** [A] सत्र 2018-19 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों की सूची का अनुमोदन दर्शाये गए सत्र अनुसार किया गया -

क्र.	महाविद्यालय का नाम
1	प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)
2	आदर्श कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंज मंडी, रायपुर (छ.ग.)
3	सेंट्रल कालेज आफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-1131/3, रिंग रोड नं.-3, ग्राम-तुलसी, रायपुर
4	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम-बेलभाटा, व्हाया-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
5	कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लॉट नं. 2661/24, देवरी, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
6	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मुजगहन पो.आ.- सेजबहार, जिला- रायपुर
7	सेंट्रल कॉलेज आफ इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)
8.	विकास शिक्षा महाविद्यालय, सी-191, देवपुरी, फुंडहर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
9	ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)
10	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
11	प्रतिभा कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम-बालसी, सराईपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
12	नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार (2017-18)

[B] सत्र 2018-19 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों की सूची का अनुमोदन दर्शाये गए सत्र अनुसार किया गया तथा जिन महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं किया गया है, उसकी सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे -

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालयों के नाम
1	शास. सुखराम नागे, महाविद्यालय, सिहावा (नगरी) जिला-धमतरी
2	शास. डी.बी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार
3	शास. स्व. श्री विरेन्द्र बहादुर सिंह महा. सरायपाली, जिला-महासमुंद
4	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल, महा. अभनपुर, जिला-रायपुर
5	शासकीय महाविद्यालय, लवन (बलौदाबाजार), जिला- बलौदाबाजार
6	शास. स्व. सी.एल.एस. महा. धमतरी
7	शास. राजमहंत नयनदास, महिलांग कॉलेज, भटगांव, जिला- बलौदाबाजार
8	श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर
9	शास. नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय धमतरी
10	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसीवां रायपुर
11	स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना, जिला-महासमुंद
12	चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला-महासमुंद
13	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बलोदा, जिला-महासमुंद
14	शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला- बलौदाबाजार
15	शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर
16	शास. के.एल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुन्द
17	शास. दू.ब. स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर
18	डॉ. राधा बाई, शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
19	संत गुरु घासीदास शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी
20	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी
21	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग, जिला-गरियाबंद
22	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. महाविद्यालय, महासमुंद
23	शास. आदर्श महाविद्यालय, रायपुर
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालयों के नाम
1	श्री विरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, प्लॉट नं.-724/1, स्ट्रीट नं.-1, ग्राम+पोस्ट-जामगाँव, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
2	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, 94, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.)
3	दिशा कालेज, दिशा पार्क बिल्डिंग नं. 01 फर्स्ट फ्लोर, खसरा नं. 788/1च/2 और 792/3 चिरुडीह, रामनांगर रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
4	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
5	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)
6	सांत्वना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान पी.जी. इंस्टीट्यूट आफ बिहेवियरले एंड मेडिकल साइंसेस रायपुर (छ.ग.)
7	महर्षि दयानंद संस्कृत महाविद्यालय, कोसरंगी जिला- महासमुंद
8	आकांक्षा लायंस स्कूल फॉर मंटली हेण्डिकेप्ड, रायपुर
9	महंत लक्ष्मी नाराण दास महा. रायपुर (छ.ग.)
10	इंस्टीट्यूट आफ टेक्नॉलॉजी एंड साइंसेस देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
11	कचन धुरवा, महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)
12	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, ढाया-मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ.ग.)
13	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
14	शांतिबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.)
15	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-129, ग्राम-धनेली, पो.-माना कैम्प, रायपुर

16	रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज, ग्राम- धनेली, माना, रायपुर
17	सेंचुरी सिमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा), जिला-रायपुर (छ.ग.)
18	के.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर (छ.ग.)
19	श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, दुर्गापुर, जशपुर (छ.ग.)
20	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेडा, अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
21	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्राम- पचेडा जिला-रायपुर
22	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-581, ग्राम-पचेडा तह.-अभनपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)
23	श्याम बालाजी महाविद्यालय, महासमुंद
24	विवेकानंद शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
25	जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)
26	छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा जिला-धमतरी (छ.ग.)
27	स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ एजुकेशन, खसरा नं.-1234, ग्राम+पोस्ट-नरदहा, तह.-आरंग, रायपुर (छ.ग.)
28	जय हिंद महाविद्यालय, लोहानी बिल्डींग, महासमुंद (छ.ग.) सत्र 2017-18 में प्रथम वर्ष में प्रवेश शुन्य।
29	श्री राम कालेज, ग्राम व पोस्ट-सारागांव, जिला- रायपुर (छ.ग.)
30	इंडियन कालेज आफ एजुकेशन, स्टेशन रोड, महासमुंद (छ.ग.)
31	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बरती रायपुर (छ.ग.)
32	आर.के.एस. महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
33	श्रीमती पी.जी. डागा कन्या महाविद्यालय, कचहरी चौक, रायपुर
34	गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी (छ.ग.)
35	पं. रामसखा उपाध्याय महाविद्यालय एकता नगर, गुढियारी, रायपुर (छ.ग.)
36	कला महाविद्यालय जी - जामगांव, जिला-धमतरी
37	रामचण्डी महाविद्यालय, बगईजोर, सराईपाली (छ.ग.)
38	शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांडर, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
39	शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर (छ0ग0)
40	स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ग्राम- मुड़पार, पो.-खरोरा, तह.- तिल्दा, जिला- रायपुर
41	कोलम्बिया कालेज, प्लॉट नं.-97, ग्राम-टेकारी, पो.आ.-मांडर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 493111
42	महात्मा गाँधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
43	अलशम्स इंफोटेक कॉलेज, नगरी (सिहावा) जिला-धमतरी
44	ओम श्री साईं नाथ विद्यालय परसतराई (धरसीवां), जिला-रायपुर (छ.ग.)
45	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, कांपा, रायपुर (छ.ग.)
46	आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, डूमरतालाब, रायपुर
47	आर.आई.टी.ई.ई. कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-483/1, पं.र.शु.वि.वि. जिम्नेशियम के सामने, डुमर तालाब, कांगेर वैली एकेडमि, रायपुर (छ.ग.)
48	आर.आई.टी.ई.ई. कालेज आफ मैनेजमेंट, छतौना, मंदिर हसौद, रायपुर
49	शाम्भवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-334/1, 334/2, स्ट्रीट-देवरभाटा, ग्राम-धुसेरा, पोस्ट-अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)
50	वंदेमातरम् महाविद्यालय, पुराना नूतन स्कूल, गणेश चौक, धमतरी (छ.ग.)
51	क्रुति स्कूल आफ बिजनेस मैनेजमेंट, चंद्रखुरी फार्म, रायपुर (छ.ग.)
52	क्रुति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, नरदहा, रायपुर
53	दुलीचंद जालान कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तिलईपाली, सरसीवां जिला-बलोदाबाजार-भाटापारा

07. सत्र 2018-19 हेतु अध्ययन मण्डलों की अनुशंसा के आधार पर पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णय:** सत्र 2018-19 हेतु अध्ययन मण्डलों की अनुशंसा के आधार पर पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया।

08. चाणक्य कम्युनिटी कॉलेज, सरोना, टाटीबंध, रायपुर की सम्बद्धता के संबंध में निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के संबंध में।

**निर्णय:** पूर्व में संचालित चाणक्य कॉलेज की सम्बद्धता प्रश्नपत्र लिक होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता समाप्त की गई थी। इस संबंध में आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है। प्रकरण पर न्यायालय के निर्णय होने तक इस समिति द्वारा संचालित किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्ववित्तीय योजनांतर्गत पी.जी. डिप्लोमा इन योग एजुकेशन एंड फिलॉसफी में सीट वृद्धि 20 के स्थान पर 40 सीट किये जाने के संबंध में छ.ग. शास. उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3-34/15/38-1 दिनांक 16.07.2018 की सूचना ग्रहण किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 6938 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2018 रायपुर, दिनांक: 13 / 08 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय / परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)  




20

माननीय कार्यपरिषद् की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालयीन टीप



विषय:— विश्वविद्यालयीन अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (7वां वेतनमान) प्रदाय किये जाने के संबंध में।

अपर सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक 788/F-01002199/L-11-2/ब-4/चार दिनांक 05.09.2018 एवं पत्र क्रमांक 791/F-01002199/L-11-2/ब-4/चार दिनांक 06.09.2018 के द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को छ.ग. पुनरीक्षण नियम 2017 में दिये प्रावधानों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण करते हुये दिनांक 01.07.2018 से आर्थिक लाभ दिये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

दिनांक 01.01.2016 से 30.06.2018 तक के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुये आर्थिक लाभ दिनांक 01.07.2018 से दिये जाने का आदेश है।

दिनांक 01.07.2018 के पूर्व के एरियर्स के संबंध में पृथक से निर्णय लिये जाने का आदेश है।

अतः छ.ग. शासन, वित्त विभाग के उपरोक्त आदेश अनुसार विश्वविद्यालयीन अधिकारियों/कर्मचारियों को छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.01.2016 से 30.06.2018 तक काल्पनिक वेतन निर्धारण कर दिनांक 01.07.2018 से नगद भुगतान एवं छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 253/एफ-2013-04-00416/वि/नि/चार दिनांक 29.05.2018 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में स्वीकृत 05 प्रतिशत महंगाई भत्ता, जो दिनांक 01.07.2017 से देय है, के स्वीकृति के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

  
Deputy Registrar (Admin)  
Pt. Ravishankar Shukla Unive.  
RAIPUR (C. G.)  


21

निर्देश 51/2018

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

--: मंत्रालय :-

महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक 791 / F-01002199/L-11-2 / ब-4 / चार,  
प्रति,

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06.09.2018

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़


विषय :- राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण

संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञापन क्र. 788 / F-01002199 / एल-11-2 / वित्त / 2010 / बजट-4 / चार, दिनांक 05.09.2018 (वित्त निर्देश 50 / 2018)

---000---

संदर्भित वित्त निर्देश द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण करते हुए दिनांक 01.07.2018 से आर्थिक लाभ दिया गया है।

2- उक्त वित्त निर्देश के पैरा-2 में अंकित "दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2017 तक के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए आर्थिक लाभ दिनांक 01.07.2018 से देय होगा।" के स्थान पर "दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2018 तक के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए आर्थिक लाभ दिनांक 01.07.2018 से देय होगा।" पढ़ा जावे।


  
(सतीश पाण्डेय) 19/18  
अपर सचिव

पृष्ठा. क्रमांक 791 / F-01002199/L-11-2 / ब-4 / चार,  
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/09/2018

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर

3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर  
रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,  
बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग  
/ लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, महानदी भवन, अटल नगर, जिला  
रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय, परिसर, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर,  
जिला रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
14. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला  
रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर  
- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु
20. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर  
को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) पर अपलोड करने हेतु

  
(सतीश पाण्डेय)  
अपर सचिव

23

वित्त निर्देश 50/2018

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग

--: मंत्रालय ::--

महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक 788/F-01002199/L-11-2/ब-4/चार, अटल नगर, जिला रायपुर, दिनांक 05/09/2018  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़


विषय :- राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण

संदर्भ :- 1. इस विभाग का ज्ञापन क्र. 1533/एल-11-2/वित्त/2010/बजट-4/चार, दिनांक 13.10.2011 (वित्त निर्देश 49/2011) एवं  
2. इस विभाग का ज्ञापन क्र. 2279/एल-11-2/वित्त/2010/बजट-4/चार, दिनांक 02.03.2012 (वित्त निर्देश 07/2012)

---000---

संदर्भित वित्त निर्देशों द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण, 2009 लागू करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय तथा शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 का लाभ दिया जाये।


2- राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण करते हुए दिनांक 01.07.2018 से इसका आर्थिक लाभ दिया जाए। अर्थात् दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2017 तक के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए आर्थिक लाभ दिनांक 01.07.2018 से देय होगा। दिनांक 01.07.2018 से पूर्व के एरियर्स के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा। विभाग राज्य से अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरणों की जाँच स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा छः माह की अवधि में अनिवार्य रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

  
5/9

3- राज्य शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं को छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम, 2017 का लाभ संबंधित संस्थाओं के नियम / उप नियम के अनुसार गठित संचालक मंडल / प्रबंध बोर्ड तथा प्रशासकीय विभाग के अनुशंसा के पश्चात् प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4- राज्य के ऐसे सार्वजनिक उपकरणों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/विकास प्राधिकरणों, जो स्थापना व्यय या अन्य व्यय हेतु राज्य शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करती है, यदि अपने स्वयं के स्रोत से संस्था के नियमित कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 का लाभ प्रदाय करना चाहते हैं, तो अपनी संचालक मण्डल की सहमति से ऐसा कर सकते हैं। शर्त यह होगी कि संबंधित उपक्रम संचित लाभ की स्थिति में हो तथा नये वेतनमान स्वीकृत होने पर आने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति अपने संसाधनों (वर्तमान में एवं भविष्य में भी) से करें। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता नहीं दी जाएगी, नये वेतनमान के फलस्वरूप उपक्रम के विकासात्मक एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा राज्य शासन को दिया जाने वाला लाभांश भी यथावत् रहेगा। लाभ की स्थिति की पुष्टि का उत्तरदायित्व उपक्रम के प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा तथा जिस बैठक में उक्त वेतनमान संबंधी निर्णय लिया जाएगा, उस बैठक में वित्त विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। संचालक मंडल में मत भिन्नता होने पर इस में वित्त विभाग की सहमति उपरांत निर्णय लिया जाएगा।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(सतीश पाण्डेय) 5/9/18  
अपर सचिव

पृष्ठां. क्रमांक 789/F-01002199/L-11-2/ब-4/चार, अटल नगर, जिला रायपुर, दिनांक 05/09/2018  
प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय, परिसर, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
14. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर  
- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु
20. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर  
को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) पर अपलोड करने हेतु

  
(सतीश पाण्डेय)  
अपर सचिव



25

कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु टीप

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.03.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1273/स्था./सा.प्रशा./2018 दिनांक 31.03.2018 के द्वारा पूनर्मूल्यांकन के प्रकरण पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के निलंबन को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है।


कार्यालय द्वारा निलंबन समाप्त किये जाने संबंधी जारी आदेश में निलंबन अवधि को सेवाकाल माना जाना है अथवा नहीं। इस संबंध में स्पष्ट आदेश नहीं है।

स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर का अवकाश नगदीकरण एवं पेंशन प्रकरण लंबित है।

छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के उपनियम 23 के अनुसार— “आचरण से संबंधित जांच के लंबित रहने तक, किसी शासकीय सेवक द्वारा निलंबन के अधीन बिताये गये समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में तब ही की जाएगी, जहां ऐसी जांच की समाप्ति पर उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया गया हो या निलंबन को पूर्णतः अनुचित ठहराया गया हो, अन्य मामलों में निलंबन की कालावधि की गणना तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी, उस समय अभिव्यक्त रूप से यह घोषित नहीं कर देता कि इसकी गणना उस सीमा तक की जाएगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी घोषित करें।”

पूर्व में डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक/प्रोफेसर के याचिका क्रमांक 1730/2006 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.09.2014 के संदर्भ में कार्यपरिषद के निर्णय दिनांक 28.10.2014 एवं विधिक अभिमत अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/6956/स्था./सा.प्रशा./2014 दिनांक 31.12.2014 के द्वारा डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक/प्रोफेसर को निलंबन से सेवा में बहाल किया गया तथा निलंबन अवधि में दिये राशि/स्वत्वों के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ उन्हें नहीं दिया गया तथा उनकी निलंबन अवधि को पेंशन के लिए अर्हता सेवा मान्य किया गया है।

अतः डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य किया जाना है अथवा नहीं के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत।

  
Deputy Registrar (Admin.)  
P. Ravishankar Shukla University  
RAIPUR (C. G.)



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर  
(छ.ग.) 492010

26

Email Id- registrarprsu@gmail.com.

Phone No. 0771-2262540

// आदेश //

क्रमांक 3157 / सा.प्रशा./2017

रायपुर, दिनांक 24/08/2017

डॉ. व्यासनारायण दुबे प्राध्यापक, साहित्य एवं भाषा अध्ययन शाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को वार्षिक परीक्षा 2016 की विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन एवं त्रिस्तरीय मूल्यांकन कराये जाने हेतु समन्वयक नियुक्त किया गया था। समन्वयक पद की नियुक्ति के दौरान, इनके द्वारा पुनर्मूल्यांकन एवं त्रिस्तरीय मूल्यांकन कार्य में गंभीर लापरवाही एवं आर्थिक अनियमितता बरते जाने के कारण वि.वि. परिनियम - 31 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

डॉ. दुबे को निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं निलंबन अवधि में इन्हें कुलसचिव कार्यालय में संबद्ध किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्र./3158/ सा.प्रशा./2017

रायपुर, दिनांक 24/08/2017

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष साहित्य एवं भाषा, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ।
4. वित्त नियंत्रक पं.र.शु.वि.वि., रायपुर(छ.ग.) को सूचनार्थ।
5. डॉ.व्यास नारायण दुबे प्राध्यापक, साहित्य एवं भाषा अध्ययन शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. संबंधित की व्यक्तिगत नस्ती में संलग्नार्थ।
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव (प्रशा.)





पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

27



// आदेश //

क्रमांक /1273 /स्था./सा.प्रशा./2018

रायपुर, दिनांक 31 /03/2018

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.03.2018 के विषय क्रमांक 6 में हुये निर्णयानुसार पूनर्मूल्यांकन के प्रकरण पर प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर डॉ. व्यास नारायण दुबे, प्रोफेसर के निलंबन को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(माननीय कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक /1274 /स्था./सा.प्रशा./2018

रायपुर, दिनांक 31 /03/2018

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.),
3. डॉ. व्यास नारायण दुबे, प्रोफेसर, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला,
4. अध्यक्ष, साहित्य एवं भाषा अध्ययन शाला,
5. वित्त विभाग/अकादमिक विभाग,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)



अशोक कुमार  
संयुक्त सचिव (हिंदी एवं संस्कृत)  
दूरभाष: 011-49015214  
फैक्स: 011-49015217

02 अगस्त, 2018

महोदय,

मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 18-20 अगस्त की अवधि में मॉरीशस में होने वाले 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के लिए आपको सरकारी प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है।

2. सम्मेलन में जाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की गई है, जो 16-17 अगस्त की रात्रि को 1 बजे दिल्ली से चलेगा और सुबह 7 बजे मॉरीशस पहुँचेगा। 20 अगस्त की रात्रि को मॉरीशस से चलकर 21 अगस्त की सुबह दिल्ली पहुँचेगा। इसके अलावा आपके आवास, भोजन एवं स्थानीय परिवहन की व्यवस्था भी सम्मेलन द्वारा की जाएगी।

3. कृपया अपना पंजीकरण करवा लें और सहमति का पत्र हमें ई-मेल [jshindi@mea.gov.in](mailto:jshindi@mea.gov.in) पर भेज दें। सम्मेलन में प्रतिभागिता हेतु आपका पंजीकरण निःशुल्क होगा, तथापि ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसलिए कृपया अपना पंजीकरण तुरन्त करवा लें (लिंक: <https://vishwahindisammelan.gov.in/Registration/UserRegistration.aspx?TypeID=3>)। अपना संपर्क सूत्र एवं ई-मेल भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्य किसी भी जानकारी के लिए सम्मेलन की वेबसाइट [www.vishwahindisammelan.gov.in](http://www.vishwahindisammelan.gov.in) को देखा जा सकता है।

सादर,

भवदीय

अशोक कुमार

(अशोक कुमार)

डॉ. केशरी लाल वर्मा  
[vc\\_raipur@prsu.org.in](mailto:vc_raipur@prsu.org.in),  
[verma\\_kl@rediffmail.com](mailto:verma_kl@rediffmail.com)

[पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ's](#) [प्रतिक्रिया Feedback](#) [साइटमैप Sitemap](#)

[A](#) [A+](#)



## विश्व हिन्दी सम्मेलन World Hindi Conference

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of External Affairs, Govt. of India

[लॉग इन Login](#)

[मुख पृष्ठ Home](#)

[कार्यक्रम Programme](#)

[सहयोगी देश Partner Country](#)

[अभिलेखागार Archives](#)

[हमसे संपर्क करें Contact Us](#)



## विश्व हिन्दी सम्मेलन World Hindi Conference

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of External Affairs, Govt. of India

**You have been successfully registered for  
11th World Hindi Conference.**

Your registration number is **11WHCV003149**. Please use your registration number for future correspondences with the organizers.

**11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के लिए आप सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गए हैं।**

आपकी पंजीकरण संख्या **11WHCV003149** है। कृपया आयोजकों के साथ भविष्य में किसी भी पत्राचार के लिए अपने पंजीकरण संख्या का प्रयोग करें।

[Privacy Policy](#) [Terms of Use](#) [Disclaimer](#) [Help](#)

Copyright Owned by Ministry of External Affairs, Government of India.

Visitors: **244718** | Page last updated on: **10-8-2018**



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587, Website : prsu.ac.in, E-mail- adm.prsu@yahoo.in



क्रमांक 2228/सा.प्रशा./2018

रायपुर, दिनांक 01/06/2018

## // आदेश //

डॉ. हेमन्त शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, अकादमिक विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के दुर्ग विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन तथा दुर्ग विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 07/स्था./2018 दुर्ग, दिनांक 30.05.2018 के पृष्ठांकन के अस्वरूप तथा इनके आवेदन के प्रत्युत्तर में इन्हें आज दिनांक 01.06.2018 को अपरान्ह से कार्यमुक्त किया जाता है।

आदेशानुसार

*[Handwritten Signature]*

कुलसचिव

पृ. क्र. 2229/सा.प्रशा./2018

रायपुर, दिनांक 01/06/2018

प्रतिलिपि :-

1. डॉ. हेमन्त शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, अकादमिक विभाग, पं. र. शु. वि. वि., रायपुर को पालनार्थ।
2. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अकादमिक विभाग, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ।
4. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ।
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

*[Handwritten Signature]*

उपकुलसचिव (प्रशा.)



# दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित  
रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

Email: registrar@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone 0788-2359100

## आदेश

क्रमांक 07 /स्था/2018

दुर्ग, दिनांक 30 / 05 / 2018

एतद् द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियम 31 के पैरा 4(1)(b) एवं पैरा 7(b)(iii) तथा प्रतिनियुक्ति- मार्गदर्शी सिद्धांत (सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-7/95/3/एक, दिनांक 5 जून, 1995) के तहत दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग में स्वीकृत सेटअप के पद "सहायक लेखाधिकारी" (वेतनमान 9300-34800+4300) पद पर डॉ. हेमन्त शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है।

### प्रतिनियुक्ति की शर्तें :-

- (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि में, डॉ. शर्मा को उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में उल्लेखित वेतन एवं भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
- (2) चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा, पैतृक विभाग में दिए गए विकल्प के अनुसार देय होंगे।
- (3) प्रति नियुक्ति की अवधि में अर्जित अवकाश के समर्पण व नगदीकरण की पात्रता नहीं होगी। नियमानुसार अवकाश की पात्रता होगी।
- (4) आवास किराया भत्ता, शासन के नियमानुसार देय होगी।
- (5) राज्य शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।
- (6) प्रतिनियुक्ति अवधि में डॉ. शर्मा को राज्य शासन के वित्त विभाग के निर्देशानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।

आदेशानुसार

-सही-

कुलसचिव

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 103 /स्था./2018

दुर्ग, दिनांक 30 / 05 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
2. माननीय कुलपति के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
3. कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख्य है कि डॉ. हेमन्त शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. को दुर्ग विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जाकर विश्वविद्यालय को सूचित करें।
4. सहायक कुलसचिव (अका.) दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग की ओर डॉ. हेमन्त शर्मा के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के संबंध में माननीय कार्यपरिषद को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. डॉ. हेमन्त शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
6. वित्त विभाग, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
7. कार्यालयीन आदेश पुस्तिका।


कुलसचिव

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)  
कार्यपरिषद में रख जाने हेतु कार्यालयीन टीप

डॉ. अलेख कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 74/18 धारा 420, 34 के अंतर्गत दिनांक 27.04.2018 एवं 07.05.2018 को न्यायालय की अनुमति से गिरफ्तार कर जेल निरुद्ध किये जाने के फलस्वरूप इन्हें इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2031/स्था./सा.प्रशा./2018, रायपुर, दिनांक 17.05.2018 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

अतः डॉ. अलेख कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि अध्ययनशाला के निलंबन की सूचना माननीय कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

  
Deputy Registrar (Admn.)  
Pt. Ravishankar Shukla University,  
RAIPUR. (C.G.)



// आदेश //

क्रमांक/2031/स्था./सा.प्रशा./2018

रायपुर, दिनांक 17/05/2018

डॉ. अलेख कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 178/18 धारा 420, अपराध क्रमांक 64/18 धारा 420 एवं अपराध क्रमांक 74/18 धारा 420, 34 के अंतर्गत दिनांक 27.04.2018 एवं 07.05.2018 को न्यायालय की अनुमति से गिरफ्तार कर जेल निरुद्ध किये जाने के फलस्वरूप उन्हें विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 56 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम-9(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

डॉ. साहू को निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं निलंबन अवधि में इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में सम्बद्ध किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/2032/स्था./सा.प्रशा./2018  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 17/05/2018

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.),
3. अध्यक्ष, विधि अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.),
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.),
5. डॉ. अलेख कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि अध्ययनशाला को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

etc

कुलसचिव

34

छत्तीसगढ़ शासन  
समाज कल्याण विभाग  
:: मंत्रालय ::  
महानदी भवन, नया रायपुर



क्रमांक रफ़ 3 - 37/2018/26,  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 09 /05/2018

कुल सचिव,  
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,  
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय:- मनोवैज्ञानिक अध्ययनशाला द्वारा दिव्यांगता अध्ययन केन्द्र को विश्व विद्यालय में खोलने हेतु प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपके द्वारा दिनांक 24.04.2018 को प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव।

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के संबंध में लेख है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययनशाला द्वारा दिव्यांगता अध्ययन केन्द्र की स्थापना के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, केन्द्र हेतु रूपये 3.00 करोड़ की राशि पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित की गई है।

2/ इस हेतु भूमि का चिन्हांकन कर संबंधित निर्माण एजेंसी से नक्शा तैयार कर प्रस्ताव भेजें, ताकि इस संबंध में निर्णय लिया जा सके।

3/ आपके प्रस्ताव पर अनावर्ती व्यय पर स्वीकृति हेतु विभाग सैद्धांतिक रूप से सहमत है। उपचार उपकरण, तकनीकी उपकरणों आदि के संबंध में सुव्यवस्थित प्रस्ताव भेजें ताकि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

4/ केन्द्र के संचालन हेतु प्रस्तावित पदों पर उच्च शिक्षा विभाग से समन्वय कर स्वीकृति प्राप्त करें, ताकि भविष्य में केन्द्र के संचालन में बाधा उत्पन्न न हो।

तत्काल की गई तथा सुव्यवस्थित प्रस्ताव विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।

o/c

(आर. प्रसन्ना)  
विशेष सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
समाज कल्याण विभाग



35


पृ. क्रमांक रूप 3-37/2018/26.

नया रायपुर, दिनांक 09 /05 /2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
  2. संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़, रायपुर।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

o/c

  
विशेष सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
समाज कल्याण विभाग

FILE NO. EMR/2016/005813  
**SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH BOARD(SERB)**  
 (a statutory body of the Department of Science & Technology, government of India)  
 5 & 5A, Lower Ground Floor  
 Vasant Square Mall  
 Plot No. A, Community Centre  
 Sector-B, Pocket-5, Vasant Kunj  
 New Delhi-110070

Dated: 12-Mar-2018

**ORDER**

Subject: Financial Sanction of the research project titled "Design and Development of Low Cost Paper based Printed Electrochemical and Colorimetric Sensors" under the guidance of Dr. Kamlesh Kumar Shrivastava, Department of Chemistry, Pt. Ravishankar Shukla University, G.E.Road, Amanaka, Raipur, Chhatisgarh, 492010, Amanaka, Raipur, CT, CHHATTISGARH-492010 - Release of 1st grant.

Sanction of Science and Engineering Research Board (SERB) is hereby accorded to the above mentioned project at a total cost of Rs. 4033090/- (Rs. Forty Lakh Thirty Three Thousand and Ninety Only) with break-up of Rs. 2030445/- under Capital (Non-recurring) head and Rs.2002645/- under General (Recurring) head for a duration of 36 months. The items of expenditure for which the total allocation of Rs. 4033090/- has been approved are given below:  
 The following budget may be considered for Pt. Ravishankar Shukla University, G.E.Road, Amanaka, Raipur, Chhatisgarh, 492010, Amanaka, Raipur, CT

*MEET*  
*15/3/18*

S. No	Head	Total (in Rs.)
<b>A</b>	<b>Non-recurring</b>	
1	Equipment -> High pressure Binary Gradient HPLC System with PC -> Gaussin software is required Gaussian 09) with gauss view Program -> Centrifuge Machine (upto 15000 rpm)	2030445
<b>A'</b>	<b>Total (Non-Recurring)</b>	<b>2030445</b>
<b>B</b>	<b>Recurring Items</b>	
1	Recurring - A : (Manpower) Recurring - B : ( Consumables, Travel, Contingencies)	936000 700000
2	Recurring - C : (Overhead Charges)	366645
<b>B'</b>	<b>Total (Recurring)</b>	<b>2002645</b>
<b>C</b>	<b>Total cost of the project (A' + B')</b>	<b>4033090</b>

- Sanction of the SERB is also accorded to the payment of
  - Rs. 2030445/- (Rupees Twenty Lakh Thirty Thousand Four Hundred and Forty Five only) under 'Grants for creation of capital assets' and Rs. 469555/- (Rupees Four Lakh Sixty Nine Thousand Five Hundred and Fifty Five only) under 'Grants-in-aid General' to Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, G.E.Road, Amanaka, Raipur, Chhatisgarh, 492010, Amanaka, Raipur, CT being the first installment of the grant for the year 2017-2018 for implementation of the said research project.
- The expenditure involved is debit to Fund for Science & Engineering Research (FSER)  
 This release is being made under Core Research Grant. (PAC Inorganic Physical Chemistry)
- The Sanction has been issued to Pt. Ravishankar Shukla University, G.E.Road, Amanaka, Raipur, Chhatisgarh, 492010, Amanaka, Raipur, CT with the approval of the competent authority under delegated powers on 03 November, 2017 and vide Diary No. SERB/F/10113/2017-2018 dated 09 March, 2018
- Sanction of the grant is subject to the conditions as detailed in Terms & Conditions available at website ([www.serb.gov.in](http://www.serb.gov.in)).
- Overhead expenses are meant for the host Institute towards the cost for providing infrastructural facilities and general administrative support etc. including benefits to the staff employed in the project.
- While providing operational flexibility among various subheads under head Recurring-A, it should be ensured that not more than Rs. 1.5 lakh each should be spent for travel and contingency.
- As per rule 211 of GFR, the accounts of project shall be open to inspection by sanctioning authority/audit whenever the institute is called upon to do so.
- The sanctioned equipment would be procured as per GFR and its disposal of the same would be done with prior approval of SERB.
- The release amount of Rs. 2500000/- (Rupees Twenty Five Lakh only) will be drawn by the Under Secretary of the SERB and will be disbursed by means of RTGS transaction as per their Bank details given below:

Account Name	Registrar Pt. Ravishankar Shukla University
Account Number	10049592111

Bank Name & Branch	State Bank of India Pt. R.S.U. Branch, Amanaka G.E. Road Raipur CG0771-2262725sbi.03739@sbi.co.in
IFSC/RTGS Code	SBIN0003739
Email id of A/C Holder	registrarprsu@gmail.com
Email id of PI	kshrivas@gmail.com

11. The institute will furnish to the SERB, New Delhi, separate Utilization certificate(UCs) financial year wise to the SERB for Recurring (Grants-in-aid General) & Non-Recurring (Grants for creation of capital assets) and an audited statement of accounts pertaining to the grant immediately after the end of each financial year.

12. The institute will maintain separate audited accounts for the project. A part or whole of the grant must be kept in an interest earning bank account which is to be reported to SERB. The interest thus earned will be treated as credit to the institute to be adjusted towards further installment of the grant.

13. The project File no. EMR/2016/005813 may also be mentioned in all research communications arising from the above project with due acknowledgement of SERB.


14. The manpower sanctioned in the project, if any is co-terminus with the duration of the project and SERB will have no liability to meet the fellowship and salary of supporting staff if any, beyond the duration of the project

15. As this is the first grant being released for the project, no previous U/C is required.

16. The institute may refund any unspent balance to SERB by means of a Demand Draft favoring "FUND FOR SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH" payable at New Delhi.

17. The organization/institute/university should ensure that the technical support/financial assistance provided to them by the Science & Engineering Research Board, a statutory body of the Department of Science & Technology (DST), Government of India should invariably be highlighted/ acknowledged in their media releases as well as in bold letters in the opening paragraphs of their Annual Report.

18. In addition, the investigator/host institute must also acknowledge the support provided to them in all publications, patents and any other output emanating out of the project/program funded by the Science & Engineering Research Board, a statutory body of Department of Science & Technology (DST), Government of India.

  
(Dr. Arvind Chaudhary)  
Scientist C  
ipc.serb@gmail.com

To,  
Under Secretary  
SERB, New Delhi

Copy forwarded for information and necessary action to: -

1.	The Principal Director of Audit, A.G.C.R. Building, IIIrd Floor I.P. Estate, Delhi-110002
2.	Sanction Folder, SERB, New Delhi.
3.	File Copy
4.	Dr. Kamlesh Kumar Shrivastava Department of Chemistry Pt. Ravishankar Shukla University, G.E. Road, Amanaka, Raipur, Chhatisgarh, 492010, Amanaka, Raipur, CT, CHHATTISGARH-492010 Email: kshrivas@gmail.com Mobile: 917879581979 (Start date of the project may be intimated by name to the undersigned. For guidance, terms & Conditions etc. Please visit <a href="http://www.serb.gov.in">www.serb.gov.in</a> .)
5.	Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, G.E. Road, Amanaka, Raipur, Chhatisgarh, 492010, Amanaka, Raipur, CT  (Receipt of Grant may be intimated by name to the undersigned)

  
(Dr. Arvind Chaudhary)  
Scientist C  
ipc.serb@gmail.com

School of Studies in Chemistry  
Pt. Ravishankar Shukla University  
Raipur, CG-492010,



38 (2)  
Dr. Kamlesh Kumar Shrivastava  
Associate Professor  
Email: kshrivas@gmail.com  
Phone: +91-7879581979

To,  
The Finance Controller  
Pt. Ravishankar Shukla University  
Raipur

08/04/2018

**Ref:** SERB Project, EMR/2016/005813 dated 03.11.2017, Project Title: "Design and Development of Low Cost Paper based Printed Electrochemical and Colorimetric Sensors"

**Sub:** The allocation of fund received from SERB-DST of amount Rs. 25,00,000.00 (1<sup>st</sup> Installment)

**Respected Sir,**

With Reference to the above project, the budget received Rs. 25,00,000.00 from SERB-DST should be allocated as follows:

**1. Non-Recurring Head: 20,30,445/-**

Equipments (High pressure binary gradient HPLC system with PC-1, Gaussian software is required with Gaussian view program-1 and Centrifuge machine-1 (up to 15,000 rpm)

**2. Recurring Head: 347,340/-**

- |       |                              |
|-------|------------------------------|
| (i)   | Manpower-1: Rs. 1,75,000.00  |
| (ii)  | Consumables: Rs. 1,12,340.00 |
| (iii) | Travel: Rs. 20,000.00        |
| (iv)  | Contingency: Rs. 40,000.00   |

**3. Overhead: Rs. 1,22,215/-**

Please do needful.

- Encl. 1. Details of RTGs/NEFT of Amount received.  
2. Approval letter  
3. Budget details

K. Shrivastava  
08/04/18



Dr. Kamlesh Shrivastava <kshrivas@gmail.com>

**RTGS/NEFT UTR/ TRANS No. UBINH18074392165 / SAA340580937 -- File No. EMR/2016/005813**

1 message

SERB Administrator@serbonline.in <SERB\_Administrator@serbonline.in>  
To: "info@serbonline.in"@imsva02.cdacnoida.in

Sat, Mar 17, 2018 at 5:03 PM



**Science and Engineering Research Board**  
(Statutory Body Established Through an Act of Parliament : SERB Act 2008)  
Department of Science and Technology, Government of India

Dear Sir/Madam,

I am directed to refer to Science & Engineering Research Board (SERB) sanction order no **EMR/2016/005813** dated **03 November, 2017** and forward here with the following for information and necessary action:

RTGS/NEFT UTR/Transaction no.:UBINH18074392165 / SAA340580937 dated 15 March, 2018.  
Rs 2500000/- (Twenty Five Lakh ) transferred to A/c No. : 10049592111 , Bank Name/Branch : State Bank of India  
.Pt. R.S.U. Branch

SERB/F/10113/2017-2018

CONFIRMATION OF RECEIPT OF GRANTS MAY KINDLY BE SENT BY EMAIL ONLY.SEPARATE Utilization Certificates (UCs) for Recurring and Non-Recurring Grants (even if DISBURSED BY SERB THROUGH ONE SANCTION ORDER for your project) should be uploaded online within twelve months of the closure of the financial year in which the grants were released irrespective of whether the subsequent installment of grant is due for release or not.However, if any unspent balance is to be refunded, kindly ensure that the un-utilized amount may be refunded immediately by way of an a/c payee cheque/DD drawn in favour of "Fund for Science & Engineering Research", payable at New Delhi and forwarded to the undersigned at the address given below :

The Finance & Budget Officer  
Science & Engineering Research Board (SERB)  
5 & 5A, Lower Ground Floor, Vasant Square Mall,  
Vasant Kunj, New Delhi 110070

\*\*\*\*\* LEGAL DISCLAIMER \*\*\*\*\*

Please do not reply to this mail !!

[ SERB is now on Social-Media. Kindly follow us on Twitter: @serbonline <https://www.twitter.com/serbonline>]

This is a system generated information and does not require any signature. This E-Mail may contain Confidential and/or legally privileged Information and is meant for the intended recipient(s) only. If you have received this e-mail in error and are not the intended recipient/s, kindly notify us at [info@serbonline.in](mailto:info@serbonline.in) and then delete this e-mail immediately from your system. Any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or copying of this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful. Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus-free. The sender does not accept any liability for any errors, omissions, viruses or computer problems experienced by any recipient as a result of this e-mail.

\*\*\*\*\*

'SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT!'

\* Don't want to receive such notification anymore? Click here to send a mail to unsubscribe



यात्रिकी विभाग  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,  
रायपुर (छ.ग.)

40

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक ५०४ / यात्रिकी / 2018

रायपुर, दिनांक 26/07/2018

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक बुधवार दिनांक 27/06/2018 को अपरान्ह 3.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा-कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- |     |                       |                                     |                  |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1.  | प्रो० केशरी लाल वर्मा | - कुलपति                            | - अध्यक्ष        |
| 2.  | श्री राजेश त्रिपाठी   | - प्रो. सिविल इंजी.(N.I.T.)         | - सदस्य          |
| 3.  | श्री अबीर बंदोपाध्याय | - Head, Archetecture Dept. (N.I.T.) | - सदस्य          |
| 4.  | प्रो. ए.के.गुप्ता     | - (योजना बोर्ड सदस्य)               | - सदस्य          |
| 5.  | श्री के.पी.तिवारी     | - (विश्वविद्यालय यंत्री)            | - सदस्य          |
| 6.  | डा. संदीप वनसुत्रे    | - कुलसचिव                           | - सचिव           |
| 7.  | श्री राम जी मण्डावी   | - सेक्सन आफिसर(वित्त विभाग)         | - विशेष आमंत्रित |
| 8.  | श्री प्रभात सक्सेना   | - S.D.O., P.W.D.                    | - विशेष आमंत्रित |
| 9.  | श्री विशाल शर्मा      | - उपयंत्री (सिविल), P.W.D.          | - विशेष आमंत्रित |
| 10. | श्री अरविंद कुमार डे  | - उपयंत्री (सिविल), P.W.D.          | - विशेष आमंत्रित |

विषय क्र. 1. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 30/10/2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :- भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 30/10/2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्र. 2. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 30/10/2017के निर्णय पर की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :- भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 30/10/2017 के निर्णय पर की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्र. 3. लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपोजिट वर्क के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करना।

(1) फार्मसी फेज-2 प्रथम तल निर्माण एवं अन्य कार्य  
निर्णय :- लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की गई। फार्मसी फेज-02 प्रथम तल निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग की ओर से उपस्थित श्री प्रभात सक्सेना, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी गई, कुलपति महोदय द्वारा फार्मसी संस्थान के विभागाध्यक्ष से संपर्क कर निर्माण कार्य में कोई कमी हो तो उसका निवारण करने निर्देश प्रदान किया गया।

विषय क्र. 4. लोक निर्माण विभाग द्वारा 'सुगम्य भारत अभियान' के तहत विश्वविद्यालय परिसर में चिन्हाकित निम्नलिखित भवनों को दिव्यांग जनों के लिए बाधारहित करने हेतु प्राक्कलन प्रस्तुत किए हैं :-

(1) विश्वविद्यालय की गणित-सांख्यिकी अध्ययनशाला	-	34.35 लाख
(2) विश्वविद्यालय की फार्मसी संस्थान	-	33.03 लाख
(3) विश्वविद्यालय की लाइफ साइंस अ.शा.	-	34.70 लाख
(4) विश्वविद्यालय की लाईब्रेरी विभाग	-	37.96 लाख
(5) विश्वविद्यालय की विधि अ.शा.	-	35.88 लाख
(6) विश्वविद्यालय की UTD कला भवन	-	37.96 लाख
(7) विश्वविद्यालय की भूविज्ञान अ.शा.	-	32.13 लाख
(8) पं. रविशंकर शुक्ल प्रेक्षागृह	-	33.10 लाख
(9) विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्य का प्राक्कलन	-	17.03 लाख

कुल राशि रु. - 296.14 लाख

उपरोक्त कार्यों हेतु समाज कल्याण विभाग से राशि रु 1,48,07,000/- (रुपये एक करोड़ अड़तालीस लाख सात हजार मात्र) विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। उपरोक्त कार्य डिपार्जिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने हेतु अनुमोदन करना तथा समाज कल्याण विभाग से प्राप्त राशि को कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 03 रायपुर के पक्ष में जमा कराने स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :- लोक निर्माण विभाग द्वारा सुगम्य भारत अभियान के तहत विश्वविद्यालय परिसर में चिन्हाकित भवनों को दिव्यांग जनों के लिए बाधारहित करने हेतु कुल राशि रु. 296.14 लाख के प्राक्कलन प्रस्तुत किए हैं जबकि समाज कल्याण विभाग से राशि रु. 1,48,07,000/- मात्र प्राप्त हुई है। जो कि कुल प्राक्कलन राशि की 50 प्रतिशत है। इस संबंध में बैठक में उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रभात सक्सेना द्वारा बताया गया कि राशि रु. 296.14 लाख के प्राक्कलन समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत किए गए थे। जिसे स्वीकृति प्रदान कर 50 प्रतिशत राशि आंबटित की गई है। तदसंबंध में उनके द्वारा उनको प्राप्त पत्र प्रस्तुत किया गया। तदनुसार समाज कल्याण विभाग से प्राप्त राशि रु. 1,48,07,000/- मात्र कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 03 रायपुर के पक्ष में भुगतान किए जाने हेतु अनुशंसा की गई। ताकि कार्य डिपार्जिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा सके।

विषय क्र. 5. विश्वविद्यालय के भूविज्ञान भवन के लिए वाहन पार्किंग शेड निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 6.53 लाख का अनुमोदन करना एवं कार्य डिपार्जिट वर्क के अंतर्गत कराने प्राक्कलन राशि की 50% राशि लोक निर्माण विभाग को भुगतान किए जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :-

भूविज्ञान भवन के लिए वाहन शोड बनाने के संबंध में माननीय कुलपति जी ने निर्देश प्रदान किया कि भूविज्ञान विभाग, विधि अ.शा. एवं रीजनल स्टडीज भवन, फार्मैसी संस्थान एवं गणित-सांख्यिकी अ.शा. के लिए अलग अलग छोटे वाहन शोड बनाने के स्थान पर पाँचों भवनों के लिए एक बड़ा वाहन शोड बनाया जाए, तथा फेसिंग एवं सीमेंट पोल को हटाने एवं रीजनल स्टडीज अ.शा. के पास एक गेट बनाने निर्देशित किया गया।

विषय क्र. 6. विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी अ.शा. भवन के लिए वाहन पार्किंग शोड निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 14.37 लाख का अनुमोदन करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने प्राक्कलन राशि की 50% राशि लोक निर्माण विभाग को भुगतान किए जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :- विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग भवन के लिए वाहन शोड निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 14.37 लाख का अनुमोदन किया गया। कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने प्राक्कलन राशि की 50 प्रतिशत राशि लोक निर्माण विभाग को भुगतान किए जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्र. 7. विश्वविद्यालय की विधि अध्ययन शाला भवन के लिए वाहन पार्किंग शोड निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 12.36 लाख का अनुमोदन करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने प्राक्कलन राशि की 50% राशि लोक निर्माण विभाग को भुगतान किए जाने स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :- विषय क्रमांक -5 में हुए निर्णय अनुसार कार्यवाही अपेक्षित।

विषय क्र. 8. विश्वविद्यालय के रीजनल स्टडीज अ.शा. के लिए वाहन पार्किंग शोड निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 5.88 लाख का अनुमोदन करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने प्राक्कलन राशि की 50% राशि लोक निर्माण विभाग को भुगतान किए जाने स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :- विषय क्रमांक -5 में हुए निर्णय अनुसार कार्यवाही अपेक्षित।

विषय क्र. 9. विश्वविद्यालय के भवनों के रेनोवेशन, डेवलपमेंट, एवं मेटनेंस कार्यों हेतु पूर्व में निविदा आमंत्रित की गई थी। चार फर्मों/ठेकेदारों से पंजीकृत डाक से निविदा प्राप्त हुई थी जिसमें से तीन फर्मों ने एस.ओ.आर. से Above दर दी है। फर्म M/s Om Sai Construction, Raipur द्वारा S.O.R. Enforce from 01<sup>st</sup> Jan 2015 से 4.1 प्रतिशत below की दर दी है। न्यूनतम दर अनुमोदन हेतु पिछली बैठक में प्रकरण रखा गया था परंतु आगामी बैठक रखने का निर्णय हुआ था। दर अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।



निर्णय :-

विश्वविद्यालय के भवनों के रेनोवेशन, डेवलपमेंट, एवं मेंटेनेंस के कार्यों हेतु पूर्व में बुलाई गई निविदा के दर अनुमोदन के संबंध में लोक निर्माण विभाग से उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निविदा दर अधिक होने की जानकारी दी गई। निविदा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया। फर्म M/s Om Sai Construction Raipur द्वारा निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में जमा F.D.R. को फर्म को वापस किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्र. 10. विश्वविद्यालय परिसर में बजट 2018 प्रावधान अनुसार निम्नलिखित भवन निर्माण किया जाना है जिसके लिए ड्राइंग, डिजाइन, प्राक्कलन, आदि तैयार करने हेतु वास्तुविद (आर्कटेक्ट) की नियुक्ति (चयन) किया जाना प्रस्तावित है। वास्तुविद (आर्कटेक्ट) चयन हेतु प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

- |  |           |
|--|-----------|
| (1) ब्यायस हॉस्टल  | - 200 लाख |
| (2) गर्ल्स हॉस्टल  | - 200 लाख |
| (3) स्टाफ क्वार्टर(मल्टी स्टोरी)   | - 106 लाख |
| (4) सेन्द्रल माडुलर किचन   | - 150 लाख |
| (5) दिव्यांगजनों हेतु भवन निर्माण हेतु 300 लाख अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना है। |           |

निर्णय :-

विश्वविद्यालय परिसर में बजट 2018-19 प्रावधान अनुसार भवन निर्माण हेतु ड्राइंग डिजाइन प्राक्कलन आदि तैयार करने वास्तुविद (आर्कटेक्ट) को नियुक्ति (चयन) हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्र. 11. विश्वविद्यालय के लाईब्रेरी भवन में छत से पानी सीपेज की समस्या के निदान हेतु विचार विमर्श करना। लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में छत में टाइल्स लगाए गए थे जिससे सीपेज नहीं रुका। उसके बाद टाइल्स को निकाल कर आई.टी. फ्लोरिंग की गई फिर भी सीपेज समस्या बनी हुई है।

निर्णय :-

विश्वविद्यालय के लाईब्रेरी भवन के छत से पानी सीपेज की समस्या के निदान हेतु N.I.T रायपुर से तकनीकी विशेषज्ञों को स्थल निरीक्षण कर सुझाव देने पत्र प्रेषित करने निर्णय लिया गया।


विषय क्र. 12. विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव हेतु वर्ष 2018-19 का प्राक्कलन प्रस्ताव राशि रु. 19,91,373/- का अनुमोदन करना। स्वीकृति की प्रत्याशा में उद्यानिकी विभाग द्वारा उद्यानों का रख-रखाव कार्य संतोषजनक रूप से किया जा रहा है। कार्य में संलग्न श्रमिकों के भुगतान हेतु प्रथम किस्त के रूप में प्राक्कलन राशि की 50% राशि सहायक संचालक (उद्यान), प्रमुख उद्यान- रायपुर छ.ग. के पक्ष में भुगतान किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :-


विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव हेतु वर्ष 2018-19 का प्राक्कलन प्रस्ताव राशि रु. 19,91,373/- का अनुमोदन किया गया। स्वीकृति की प्रत्याशा में उद्यानिकी विभाग द्वारा वि.वि. परिसर के उद्यानों का रख-रखाव संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है। कार्य डिपार्जिट वर्क के अंतर्गत कराए जाने हेतु प्राक्कलन राशि की 50 प्रतिशत राशि सहायक संचालक (उद्यान), प्रमुख उद्यान-रायपुर, छ.ग. के पक्ष में भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अन्य प्रकरण-अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

- (1) विश्वविद्यालय का मास्टर प्लान N.I.T के आर्कटेक्चर विभाग से बनाए जाने हेतु कुलपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।

  
कुलपति

पं०र.शं.शु.वि.वि., रायपुर(छ.ग)


  
कुलसचिव

पं०र.शं.शु.वि.वि., रायपुर(छ.ग)

पृ. क्रमांक ५०९ / यांत्रिकी / 2018  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 26 / 07 / 2018

1. माननीय कुलपति जी के सचिव, पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ ।
2. कुलसचिव महोदय के निज सहायक, पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ ।
3. वित्त नियंत्रक पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ ।

  
वि. वि. यंत्री  
पं.र.शं.शु.वि.वि., रायपुर(छ.ग)

# कार्य परिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

45

विषय :- कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं यूपीएस कय किये जाने के संबंध में।

वि.वि. के विभिन्न विभागों एवं अध्ययनशालाओं को सत्र 2018-19 के लिये आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं यूपीएस सामग्री का कय कर संबंधित विभाग/अध्ययनशाला को शीघ्र आबंटित किया जाना है। विभाग/अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार निम्नानुसार कम्प्यूटर, यू.पी.एस. एवं प्रिंटर कय किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

क्र	विभाग का नाम	सामग्री		
		Computer (PC)	UPS	Printer
1	कुलपति सचिवालय	1 (लेटेस्ट वर्जन)		1 (कलर प्रिंटर) 1 (लेजर प्रिंटर)
2	गांधी छात्रावास	4		1
3	आजाद छात्रावास	4		1
4	पावर ग्रिड हॉस्टल	4		1
5	ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अ.शा.	6		1
6	मनोविज्ञान अ.शा.	3		
7	भू-विज्ञान अ.शा.	2	2	
8	पं.सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार		15	
9	कम्प्यूटर विज्ञान अ.शा.	5		
10	सामाजशास्त्र अ.शा.		6	
11	गणित अ.शा.	5		
12	भूगोल अ.शा.	3	3	
13	महिला छात्रावास		18	1
14	वित्त विभाग	5		
15	मानव विज्ञान अ.शा.	8		
16	अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन केन्द्र (बी. वॉक.)	10		

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार कम्प्यूटर 60 नग, यू.पी.एस. 44 नग एवं प्रिंटर 07 नग Gem के माध्यम से छ.ग. शासन द्वारा जारी भण्डार कय नियम के अनुसार कय किया जाना है। उपरोक्त सामग्री कय करने पर रु.35,00,000=00 (पैंतीस लाख मात्र) व्यय होने की संभावना है।

अतः उपरोक्त सामग्री Government E-Marketing के माध्यम से कय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के सनक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

14-8-18 DR (Dev.)

Dr. P. S. Singh  
21/8/18

गोपनीय मुद्रण कार्य के भुगतान के संबंध में।

टीप :- वर्ष 2018 की परीक्षा का गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत फर्म जिसको कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 (पूरक विषय सूची क्रमांक-06) में अनुमोदन के फलस्वरूप अनुबंधित किया गया है के द्वारा वर्ष 2018 की विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं (मई-जून 2018) के गोपनीय मुद्रण कार्य किया गया है। कार्य संपादन उपरांत संबंधित फर्म द्वारा कार्य के एवज में रु. 11,89,188.00 (ग्यारह लाख नव्वासी हजार एक सौ अठ्यासी रुपये मात्र) के देयक प्रस्तुत किये है। अतः संबंधित फर्म को भुगतान किये जाने के लिए सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

47

## सारांश

विषय:- 24 ई-शोध पत्रिकाओं के क्रय पर विचार करना।

1. वर्ष 2018 के लिये 52 ई-शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निविदा आमंत्रित किया गया। 3 फर्मों ने निविदा प्रस्तुत किया।
2. 52 ई-शोध पत्रिकाओं की उपयोगिता एवं महत्व के आधार पर परीक्षण किये जाने पर 24 शोध पत्रिकाओं का क्रय हेतु चयन किया गया।
3. निविदा पत्रों के अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत निम्नलिखित फर्मों से विभिन्न दर से प्राप्त छूट के आधार पर 24 ई-शोध पत्रिकायें क्रय करने की अनुशंसा विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति ने की।

क्र.	फर्म	ई-शोध पत्रिकाओं की संख्या	भुगतान किये जाने वाली राशि
1	Total Library Solutions Pvt. Ltd., New Delhi	21	1467746.65
2	International Subscription Agency, Lucknow	2	396940.00
3	Balani Infotech Pvt. Ltd, Noida	1	436082.62
	कुल	24	2300769.27

4. 24 ई-शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ राशि रु. 2300769.27 का व्यय अनुमानित है। देयक तिथि में विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण अंतिम भुगतान राशि परिवर्तनीय है।
5. जिनका भुगतान निम्नांकित मदों से किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	मद	प्राप्त राशि	भुगतान किये जाने वाली राशि
01	वि.वि. बजट वर्ष 2018-19 ग्रंथागार/पुस्तक पत्रिका मद	42.00 लाख	2300769.27
	कुल राशि		2300769.27

अतएव 24 ई शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के अनुशंसा का अनुमोदन तथा उपरोक्त तालिकानुसार 24 शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ चंदा भेजे जाने हेतु भुगतान पर विचार करने हेतु प्रस्तुत।

// संक्षेपिका //

LB

CS

विषय:-EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR IMPLEMENTATION OF UNIVERSITY FINANCE & HR MANAGEMENT WITH SOFTWARE SOLUTION & HARDWARES के स्वीकृति के संबंध में ।

औचित्य एवं लाभ -

- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग को वर्तमान कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था अनुरूप स्वचालन (Automation) प्रकिया का युक्तियुक्त प्रबंधन किया जाना ।
- विश्वविद्यालय के प्रमुख आधारभूत विभागों ( वित्त एवं सामान्य प्रशासन )के हस्तचलित कार्य के अपेक्षा स्वचालन(Automation) प्रकिया से लाभ होगा ।
- अनेक वर्षों तक अभिलेखों (Record) के संरक्षण एवं त्रुटि रहित आंकडा प्रबंधन में सुलभता होगा ।
- कम मानव संसाधन/बल में भी कार्य को शुद्धता एवं त्रिवता से सम्पादित किया जा सकता है ।
- कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था अनुरूप स्वचालन(Automation) से नस्तियों एवं प्रकरणों पर निगरानी/नियंत्रण किया जा सकता है ।
- कार्य योजना में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के वार्षिक रखरखाव को भी सम्मिलित किया गया है ।
- विश्वविद्यालय का बजट निर्माण, बजट वर्गीकरण, बैंक समाशोधन, धनादेश राशि का संबंधित के खाते में हस्तांतरण आदि कार्य सुगमता से संचालित किया जा सकेगा ।

बजट एवं अनुमानित लागत/व्यय-

- विश्वविद्यालय वित्तीय सत्र 2018-19 के सामान्य मद के Automation of Admn. Office में राशि रु. 20.00(लाख) प्रावधानित किया गया है ।
- उक्त प्रयोजन (सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग समस्त कार्य सम्मिलित है) की लागत राशि रु. 19.00 सम्भावित है ।  
(सर्व) 2018

तदानुसार माननीय कार्यपरिषद के समक्ष उक्त प्रयोजन हेतु प्रशासकीय स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

Hmesurand,  
10.09.2018  
वित्त नियंत्रक



**पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)**  
 विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के पारिश्रमिक पर होने वाले अतिरिक्त व्यय रु. 14.00 लाख की स्वीकृति बाबत

वर्तमान में विश्वविद्यालय में कुल 147 पद (तृतीय/चतुर्थ वर्ग) रिक्त हैं तथा दुर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना के फलस्वरूप इस विश्वविद्यालय से 18 कर्मचारियों का संविलियन राज्य शासन के आदेशानुसार दुर्ग विश्वविद्यालय में किया गया है। उक्त रिक्त पदों के विरुद्ध विश्वविद्यालय में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों से जिलाधीश दर पर एक-एक माह के आदेश पर अस्थायी रूप से कार्यरत हैं।

कर्मचारियों की कमी तथा विभागों की आवश्यकतानुसार उपरोक्त श्रमिकों की विश्वविद्यालय को आगे भी अत्यंत आवश्यकता है। वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त श्रमिकों पर रु. 14.00 लाख अतिरिक्त वार्षिक व्यय अनुमानित है। उक्त राशि की व्यवस्था विश्वविद्यालय को अन्य मद में प्राप्त आय की राशि से की जावेगी।

पूर्व बजट सत्र 2017-18 में उक्त श्रमिकों के पारिश्रमिक हेतु 120.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसे सत्र 2018-19 में कम कर रु. 95.00 लाख किया गया है, जिसके कारण 14.00 लाख अतिरिक्त व्यय की संभावना है। आगामी सत्र में उक्त मद में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर प्रावधानित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि आगामी सत्र में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

अतः सत्र 2018-19 में श्रमिकों के पारिश्रमिक पर होने वाले अतिरिक्त व्यय रु. 14.00 लाख की स्वीकृति हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।



**निरीक्षण प्रतिवेदन फार्म**  
(नये शोध केन्द्र के लिए)

1. संस्था से सम्बन्धित सूचनाएँ -
  - (अ) संस्था/महाविद्यालय का नाम : संत गुरुदासीदास शास्त्रीय स्नात महावि. कुरुदे, जिला - धमतरी
  - (ब) संस्था की चल/अचल संपत्ति का विवरण : 15 एकड़ भूमि पर स्थित स्वयं का भवन, 41 कमरे, 1400 वर्गमीटर निर्मित
  - (स) संस्था का स्थापना वर्ष : 1984
  - (द) संस्था का पिछले तीन वर्षों का कुल टर्न ओवर : लगभग - 10 करोड़
2. महाविद्यालय से सम्बन्धित जानकारी -
  - (अ) भवन स्वयं का/ किराए का या अन्य प्रकार का : स्वयं का भवन
  - (ब) महाविद्यालय का स्थापना वर्ष : 1984
  - (स) संबंधित विश्वविद्यालय का नाम : पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि., रायपुर
  - (द) जिस विषय में शोध केन्द्र की मान्यता चाही गई है, उस विषय में स्नातकोत्तर कक्षा संचालित है अथवा नहीं ?
    - (i) कब से संचालित है (वर्ष) : 10 दिसम्बर - 1996 (आदेश संख्या)
    - (ii) वर्तमान में अध्ययनरत छात्र संख्या : 61 (स्नातकोत्तर)
  - (इ) जिस विषय में शोध केन्द्र की मान्यता चाही गई है, उस विषय में पदस्थ नियमित शिक्षकों की जानकारी
    - (i) प्रोफेसर :-  
एक पद स्वीकृत - प्राध्यापक पद के विकल्प - डा. आर. के. पाण्डेय कार्यरत।
    - (ii) रीडर :-  
दो पद, कार्यरत तीन
    - (iii) सहायक प्राध्यापक :-  
दो पद, कार्यरत तीन
      - (1) डॉ. आर. के. पाण्डेय (प्रवर-अधीन)
      - (2) डॉ. उभात रंजन (प्रवर-अधीन)
      - (3) डॉ. गौकरा जायसवाल

Principal  
Sant Gurusidas  
Govt. P. G. College Kurud  
Distt. Dhamtari (C.G.)



- (फ) यदि प्रायोगिक विषयों में शोध केन्द्र स्वीकृति : निरंक  
चाही गई है, तो प्रयोगशाला की जानकारी
- (त) जिस विषय में शोध केन्द्र की मान्यता चाही : डॉ. आर. के. पाण्डेय  
गई है, उस विषय के मान्य शोध निर्देशकों : प. रविशंकर शुक्ल वि. वि. रायपुर  
(महाविद्यालय में पदस्थ) की जानकारी : का आदेश क्र 4297/अका.शोध/20  
(थ) यदि प्रायोगिक विषयों के पाठ्यक्रमों की : दिनांक - 23-7-2011  
स्वीकृति चाही गई है, तो उपयुक्त : (आदेश संलग्न)  
प्रयोगशालाओं की जानकारी : N/A

3. उपलब्ध उपकरणों की जानकारी -

- (अ) क्या संस्था में टेलीफोन है ? यदि है, तो : 07705-223375  
संख्या ? एवं नम्बर
- (ब) फैक्स सुविधा है ? संख्या ? नम्बर : 07705-223375
- (स) संस्था में उपलब्ध कम्प्यूटर, टर्मिनल्स की : 20  
संख्या ?
- (द) कितने छात्रों के लिए क्लास रूम, फर्नीचर : 2500  
उपलब्ध है ?
- (इ) महाविद्यालय में उपलब्ध व्ही.सी.आर., : ई-क्लास रूम, प्रोजेक्टर टेड  
आडियो-वीडियो कैसेट्स की जानकारी : प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टी.वी.  
एवं अन्य आडियो-विजुअल सामग्री उपलब्ध
- (फ) संस्था में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग के लिए : फ्लोरोली लैब, एन-लिस्ट कनेक्टिविटी  
अन्य उपलब्ध सुविधाएँ : केन्द्रीय एवं विभागीय ग्रंथालय, पत्रिकाएँ  
पत्रजल, झरिनल, स्टैंड, इत्यादि
4. अशैक्षणिक स्टाफ के सम्बन्ध में जानकारी -
- (अ) यदि ग्रंथपाल की नियुक्ति की गई है, तो : श्री वी. आर. देवांगन  
उनका नाम एवं नियुक्ति दिनांक/आदेश : क्रमांक एफ-1-302/98/38-1  
संलग्न करें : श्रीपाल दिनांक - 02 सितम्बर 2000  
(आदेश संलग्न)

Principal  
Sant Guru Ghasidas  
Govt. P. G. College Kurud  
Distt. Dharwadari (C.G.)

-3- प्रथम द्वितीय श्रेणी - 25 अधिकार

- (ब) महाविद्यालय संचालन हेतु नियुक्ति किए गए  
अन्य द्वितीय/ तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के  
नाम, पद एवं योग्यता व वेतनमान

कुल - 10 कर्मचारी  
(सूची संलग्न)

## 5. पुस्तकों के संबंध में जानकारी -

- (अ) चाहे गये विषय की कितनी पुस्तकें उपलब्ध  
है ? कितनी क्रय की जाने की योजना है ?

3756

150

- (ब) प्रस्तावित विषयों के लिए कितनी पत्र/  
पत्रिकाएँ उपलब्ध होंगी ?

07 (आरिष्ट (अर्थ)

प्रेषित किया जाएगा ) नोटशीट  
की द्वायाप्रति संलग्न

- (स) ग्रंथालय में क्रय की जाने वाली पुस्तकों की  
जानकारी

आकास्मिक मद में शासन से राशि  
प्राप्त होने पर पुस्तकें क्रय की जायेंगी

- (द) प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों पर व्यय के लिए  
प्रावधानित राशि

Principal  
Sant Guru Ghasidas  
Govt. P. G. College Kurud  
Distt. Dhamtari (C.G.)

- (इ) अन्य प्रासंगिक एवं व्यय की जानकारी कुल राशि : .....
- (फ) उक्त व्यय की व्यवस्था के लिए आय के स्रोतों की जानकारी : शासन से प्राप्त राशि एवं जनभागीदारी समिति एवं प्र.जी.सी. से प्राप्त राशि।  
एम०ए०टिन्कीका परीक्षा परिणाम 2014-15 - 90%, 2015-16 - 96%, 2016-17 - 100%.
6. प्रस्तावित विषय व्यावसायिक पाठ्यक्रम है अथवा सामान्य ? : सामान्य

*Principal*  
Sant Guru Ghasidas  
Govt. P. G. College Kurud  
Distt. Dhamtari (C.B.)

7. शोध केन्द्र संचालन के लिए विभिन्न उपलब्ध सुविधाओं की पर्याप्तता एवं अपर्याप्तता के संबंध में निरीक्षण समिति की टीप -  
निरीक्षण प्रतिवेदन फार्म में दी गई जानकारी सही है।
- ग्रंथालय में पब्लिश पुस्तकें उपलब्ध।
  - शासन द्वारा स्वीकृत पद संख्या 1 प्राध्यापक, 2 सहायक प्राध्यापक संस्था में 2 प्रवर ग्रेजी प्राप्त वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक एवं 1 सहायक प्राध्यापक (नोक सेवा आयोग से नियमित) कार्यरत। शासकीय महाविद्यालयों के लिए पद स्वीकृति शासन स्तर पर। एक पजीकृत शोध निरीक्षक पदस्थ।
  - ई-नलास रजम की सुविधा उपलब्ध।
  - पुरतका लय में शोध प्रविधि विषयक पुस्तकें उपलब्ध। 7 पत्रिकाओं के क्रयादेश की प्रक्रिया अंतिम स्थिति में।
  - शोध केंद्र (हिंदी) के लिए वांछित सुविधाएँ पब्लिश हैं।

निरीक्षकों के हस्ताक्षर - पूरा नाम एवं पता

1. *शैलेश*  
20/06/2018  
डॉ. (अमली) शैलेश शर्मा,  
संभायाध्यक्ष, कला संकाय  
साहित्य. भाषा अध्यापनशाखा,  
पं. र.शु. वि. वि., रायपुर

2. *अनुसुईया अग्रवाल*  
20/06/2018  
डॉ. (अमली) अनुसुईया अग्रवाल,  
विभागाध्यक्ष, हिंदी/अध्यक्ष  
हिंदी अध्यापनशाखा  
संतवल्लभनारायण शास. महावि.  
मटा समुंद/पं. र.शु. वि. वि.,  
रायपुर

3. *राजेश कुमार दुबे*  
20/06/2018  
राजेश कुमार दुबे,  
माचार्य, विषय विशेषज्ञ  
शास. नवीन महाविद्यालय,  
खरोरा

===